

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 118]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी 2018—माघ 27, शक 1939

खेल एवं युवक कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2018

क्र. एफ-1-10-2016-9...—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद् द्वारा म0प्र0 खेल और युवा कल्याण संविदा सेवा के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा शर्तों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

- संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ** :- (1) ये नियम मध्यप्रदेश खेल और युवक कल्याण संविदा सेवा भर्ती (नियोजन एवं सेवा की शर्तों) नियम, 2017 हैं।
(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएं** :- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों -
 - “उपाबन्ध” से अभिप्रेत है नियमों से संलग्न उपाबन्ध;
 - “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है संबंधित प्रवर्ग के लिये अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;
 - “प्राधिकृत” से अभिप्रेत है भारत सरकार से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा एवं मध्यप्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय खेल संघ द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।

- (घ) "संविदा सेवक" से अभिप्रेत है इन नियमों के उपबंधों के अधीन संविदा सेवक।
- (ङ) "संविदा नियुक्ति" से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन संविदा आधार पर नियुक्त किया गया व्यक्ति;
- (च) "जिला" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश का राजस्व जिला;
- (छ) "अर्हता" से अभिप्रेत है, अनुसूची-दो में यथा उल्लिखित अर्हताएं।
- (ज) "शासन" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन;
- (झ) "शासकीय संस्थान" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन के विभाग एवं संबद्ध संस्थाएं।
- (ण) "विभागाध्यक्ष" से अभिप्रेत है संचालक, खेल और युवा कल्याण मध्यप्रदेश भोपाल;
- (ट) "योग्यता सूची" से अभिप्रेत है, चयन समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची;
- (ठ) "पद" से अभिप्रेत है, अनुसूची-एक के कालम दो में इस प्रकार विहित पद;
- (ड) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
- (ढ) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, संबंधित प्रवर्ग के लिए अनुसूची-दो में विहित समिति;
- (ण) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य।
- (2) विहित करने की राज्य सरकार की शक्ति— इन नियमों में जहां कहीं "विहित" करने का उपबन्ध किया गया है वहां उसका प्रयोग सरकार द्वारा कार्यकारी आदेश जारी कर के किया जाएगा।
3. विस्तार तथा लागू होना.— इन नियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा और यह राज्य/जिलास्तर पर नियोजित किये जाने वाले प्रत्येक संविदा सेवक के लिए लागू होंगे।
4. वर्गीकरण तथा संविदा पारिश्रमिक.— वर्गीकरण और उनका संविदा पारिश्रमिक ऐसा होगा जैसा कि अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किया जाए।
5. नियुक्ति के लिए चयन की पद्धति.— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, संविदा सेवकों का नियोजन, इन नियमों के उपबंधों के अधीन किया जाएगा, अर्थात् :-
- (1) चयन की समस्त प्रक्रिया अनुसूची-दो के कॉलम (6) में यथा विहित राज्य/संचालनालय/जिलास्तर पर गठित चयन समिति द्वारा की जाएगी। चयन समिति के सदस्य संचालक, खेल और युवा कल्याण मध्यप्रदेश द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।
- (2) आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवेदन केवल समुचित प्ररूप में स्वीकार किया जाएगा।

- (3) प्रशिक्षक सह प्रशासक, शूटिंग, हॉकी, मुख्य प्रशिक्षक सह प्रशासक, केनोईंग क्वाकिंग, तीरंदाजी सहायक प्रशिक्षक सह सहायक प्रशासक, शूटिंग, सहायक प्रशिक्षक सह सहायक प्रशासक, मार्शल आर्ट (कराते, कुश्ती, फैंसिंग एवं बाक्सिंग), सहायक प्रशिक्षक, मार्शल आर्ट (कुश्ती, कराते, बाक्सिंग, वूशु, ताईक्वांडो, जूडो एवं फैंसिंग), पुरुष हॉकी, राज्य महिला हॉकी, क्रिकेट, तीरंदाजी एवं बैडमिंटन एकेडमी, फिजियोथेरोपिस्ट, नालबंद (फेरियर), सर्ईस को छोड़कर। आवेदक को अपने आवेदन के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश के मूलनिवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (4) आवेदक का मध्यप्रदेश के किसी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
- (5) यदि आवेदक, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखता है, तब उसे इस प्रभाव के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (6) आवेदक, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।
- (7) आवेदक, संबंधित कार्यालय में अपना आवेदन जमा करने की दिनांक को समस्त शंसापत्रों (प्रमाण-पत्रों) की अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न करेगा जिसके आधार पर उसके आवेदन की जांच पड़ताल की जाएगी एवं सारणी में आवेदक के अंकों की गणना की जाएगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षित अंक सूची की प्रति आवेदक को दी जाएगी और दूसरी प्रति, आवेदक की प्रति के साथ अभिलेख में रखी जाएगी। आवेदकों की योग्यता सूची प्राप्त अंकों के आधार पर समिति द्वारा तैयार की जाएगी।
- (8) चयन के समय मूल शंसापत्रों प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिसके आधार पर उन्हें प्राप्त अंकों की लिखित में सूचना दी जाएगी ताकि चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता बनी रहे। चयन की प्रक्रिया में निष्पक्षता रखने का उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ संविदा सेवक की नियुक्ति करना है।
- (9) किसी भी प्रकार के विवाद की दशा में चयन समिति का निर्णय उस पर अंतिम होगा।
- (10) संविदा सेवक की नियुक्ति संबंधी समस्त प्राप्त आवेदनों की प्राप्ति की पंजी, शंसापत्रों का प्रमाणीकरण, आवेदक के प्राप्तांकों का सत्यापन, योग्यता सूची, चयन समिति की लिखित अनुशंसाएं, योग्यता सूची की घोषणा, संविदा नियुक्ति का आदेश एवं चयनित अभ्यर्धी की आवश्यक वैधानिक औपचारिकताएँ, अनुप्रमाणन चरित्र प्रमाणपत्र एवं चिकित्सा प्रमाणपत्र आदि समस्त रिकार्ड को चयन समिति द्वारा संबंधित सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा।

- (11) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबन्ध संविदा सेवक के नियोजन पर लागू होंगे।
- (12) (क) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबन्ध सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उसकी अधिसूचना क्रमांक एफ-6-1/2002 आ.प्र./1, दिनांक 19 सितम्बर, 2002 द्वारा जारी किए गए निदेशों तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998 के अनुसार रिक्त पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे।
- (ख) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं के नियोजन के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए तैतीस प्रतिशत पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (ग) यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी, पर्याप्त संख्या में नहीं पाए जाते हैं, तो शेष आरक्षित रिक्तियां अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरी जाएगी और उक्त रिक्तियां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों, के अभ्यर्थियों के लिए अगले चयन के लिए आरक्षित रखी जाएगी।
- (घ) संविदा जिला खेल प्रशिक्षक/युवा समन्वयक ग्रामीण युवा केन्द्र के रिक्त पदों पर प्रत्येक प्रवर्ग में महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत आरक्षण रखा जाएगा।
- (ङ) अन्य चीजें जो विभिन्न प्रवर्गों के लिए शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएगी।
- (च) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं के नियोजन हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा, 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी, किन्तु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (13) संविदा जिला खेल प्रशिक्षक की अपेक्षा एवं आवश्यकता समय-समय पर संचालनालय खेल द्वारा पुनरीक्षित की जाएगी।

6. चयन हेतु अर्हता.—

- (1) चयन समिति द्वारा आवेदनों की छानवीन के पश्चात् अनारक्षित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की योग्यता सूची पृथक्-पृथक् तैयार की जाएगी। योग्यता सूची तैयार करने हेतु अधिकतम अंक अनुसूची-चार के अनुसार दिए जाएंगे।
- (2) (क) एक वर्ष के अनुभव के रूप में गणना किए जाने के लिए न्यूनतम 8 माह का अनुभव अनिवार्य होगा। 8 माह से कम के अनुभव के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।

(ख) यदि प्रवर्ग वार योग्यता सूची में समान अंक प्राप्त किए जाते हैं तो प्राथमिकता अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को दी जाएगी ।

7. मेरिट सूची का तैयार किया जाना.— (1) नियम 6 के उपनियम (7) के अधीन प्राप्त आवेदनों के परीक्षण के पश्चात् योग्यता सूची तैयार की जाएगी। नियम (6) के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों के लिए योग्यता सूची पृथक् से तैयार की जाएगी और ऐसी सूची में नियम (7) के अनुसार अभ्यर्थियों के नाम पृथक् उल्लिखित किए जाएंगे। संवर्गवार पृथक् रूप से योग्यता सूची तैयार की जाएगी। जिसमें अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में सबसे ऊपर रखा जाएगा और अन्य नाम घटते क्रम में दर्शाए जाएंगे। यदि आरक्षित प्रवर्ग का कोई अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग योग्यता सूची में हो तो वह आरक्षित प्रवर्ग की रिक्ति के विरुद्ध नहीं माना जाएगा।

(2) योग्यता सूची, चयन समिति के समस्त सदस्यों के परीक्षण उपरांत संयुक्त हस्ताक्षर से जारी होगी। योग्यता सूची के आधार पर उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार नियुक्ति पत्र आदेश जारी किए जाएंगे। ऐसे नियुक्ति आदेश संचालक, खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश/संभागीय/जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे। योग्यता सूची घोषणा की तिथि से 90 दिवस के लिए वैध रहेगी।

8. मेरिट सूची का प्रकाशन.—

योग्यता सूची संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, मध्यप्रदेश संभागीय एवं जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित की जाएगी।

9. संविदा नियोजन की कालावधि.—

चयनित व्यक्ति एक वर्ष की कालावधि के लिए संविदा आधार पर नियोजित किया जाएगा। उससे संविदा नियोजन पर इन नियमों के आधार पर कार्य करने की अपेक्षा की जाएगी :

परन्तु यह कि प्रत्येक संविदा सेवक का अभिलेख संचालक खेल और युवा कल्याण मध्यप्रदेश/संभागीय जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी द्वारा विहित प्ररूप में बनाए रखा जाएगा :

परन्तु सरकार के निदेशों के अनुसार चयनित व्यक्ति का नियोजन एक वर्ष से कम की कालावधि के लिए भी किया जा सकेगा एवं उसकी संविदा की कालावधि एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।

10. संविदा कालावधि का विस्तार.—

- (1) एक वर्ष की कालावधि की पूर्णता के पश्चात् संबंधित प्रभारी अधिकारी/संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर संचालक, खेल और युवा कल्याण द्वारा अंतिम विनिश्चय करते हुए प्रदर्शन के आधार पर संविदा अवधि दूसरे वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
- (2) संविदा कालावधि के प्रत्येक विस्तार के पश्चात् नवीन संविदा निगमित करनी होगी।

11. अनुशासन एवं नियंत्रण.—

संविदा सेवक, संचालक, खेल और युवा कल्याण मध्यप्रदेश/संभागीय/ जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी के अनुशासनिक तथा प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होगा। संचालक, खेल और युवा कल्याण मध्यप्रदेश इस संबंध में विहित अधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन के आधार पर यथा विहित संविदा सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई कर सकेगा।

12. अन्य शर्तें.— (1) इन नियमों के अधीन नियोजित किया गया कोई संविदा सेवक शासकीय सेवक नहीं माना जाएगा।

- (2) इन नियमों के अधीन नियोजित किया गया कोई व्यक्ति, शासकीय सेवक को अनुज्ञेय अनुसार यात्रा भत्ता का दावा नहीं करेगा।
- (3) इन नियमों के अधीन नियोजित किया गया कोई व्यक्ति पेंशन या किसी अन्य सेवानिवृत्त लोभों के लिए पात्र नहीं होगा।
- (4) इन नियमों के अधीन नियोजित किया गया कोई व्यक्ति 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिवस के ऐच्छिक अवकाश के लिए पात्र महिला संविदा सेवक की दशा में वह 90 दिवस के मातृत्व अवकाश होगी। एवं पुरुष संविदा सेवक की दशा में वह 15 दिवस के पितृत्व के लिए पात्र होगा। किन्तु कोई भी संविदा सेवक किसी अन्य प्रकार के अवकाश के लिए पात्र नहीं होगा।

- (5) संविदा सेवक अपनी पदस्थापना के स्थान से स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा, और पदस्थापना का स्थान मुख्यालय होगा।
- (6) इन नियमों के अधीन नियोजित कोई व्यक्ति को मंहगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता या अन्य कोई भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा।
- (7) संविदा अवधि का अवसान होने के पूर्व किसी भी पक्षकार द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह के वेतन का भुगतान कर सेवाओं का पर्यवसान किया जा सकेगा।
- (8) इन नियमों के अधीन नियोजित किया गया कोई भी व्यक्ति शासकीय सेवकों को लागू आचरण नियमों द्वारा शासित होगा। अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी संविदा में उल्लिखित की जाए।

13. **निर्वचन** – इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

14. **निरसन तथा व्यावृत्ति** –

इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं;

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई किसी कार्यवाही के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी नियमों के अधीन किया गया है या की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण मिश्रा, उपसचिव.

अनूसूची-एक
संविदात्मक सेवा का वर्गीकरण तथा पारिश्रमिक
(नियम 5 देखिए)

क्रमांक	संविदात्मक सेवा का वर्गीकरण	स्वीकृत पदों की संख्या	महिलाओं के लिए आरक्षण की प्रतिशतता	स्वीकृत मासिक संविदात्मक पारिश्रमिक	नियुक्ति प्राधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	प्रशिक्षक सह प्रशासक	2	---	33,049	संचालक, खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश	
2.	मुख्य प्रशिक्षक सह प्रशासक (कैनोईंग क्याकिंग तथा तीरंदाजी भोपाल)	2	---	29,744		
3.	सहायक प्रशिक्षक--सह--सहायक प्रशासक	10	33 प्रतिशत	26,439		
4.	सहायक प्रशिक्षक	17	33 प्रतिशत	19,830		
5.	फिजियोथेरेपिस्ट --	1	---	15,202		
6.	नालबंद फेरियर	1	---	13,220		
7.	कम्प्यूटर ऑपरेटर--सह--लिपिक	12	33 प्रतिशत	10,575		(1) संचालक, खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश (2) संभागीय/जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी।
8.	वार्डन	1	---	10,575	संचालक, खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश	
9.	मैट्रन	2	---	10,575		
10.	लेखापाल	2	---	10,575		
11.	स्टोर कीपर	2	---	9,253		
12.	सहायक ग्रेड--दो	1	---	9,253		
13.	लाईफगार्ड	3	---	7,932		
14.	वोट मास्टर	1	---	7,932		
15.	फोटोग्राफर	1	---	7,932		
16.	सुरक्षाकर्मी	46	33 प्रतिशत	7,932		(1) संचालक, खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश (2) संभागीय/जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी
	चौकीदार (जिला+संभाग)	57		5,288		
17.	वाहन चालक	6	---	7,932	संचालक, खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश	
18.	सईस	5	---	7,932		
19.	एफ.आर.पी. बोट मैकेनिक	1	---	7,270		
20.	मोटर बोट ऑपरेटर	1	---	7,270		
21.	इलेक्ट्रीशियन	1	---	7,270		
22.	कॉरपेटर	1	---	7,270		
23.	रसोइया	3	---	7,270		
24.	ग्राउण्डमैन	31	33 प्रतिशत	7,270		(1) संचालक, खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश (2) संभागीय/जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी
	ग्राउण्डमैन (जिला कार्यालय)	51		4,627		
25.	भृत्य	10	33 प्रतिशत	5,949		संचालक, खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश
26.	सफाईकर्मी	43	33 प्रतिशत	5,288	(1) संचालक, खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश (2) संभागीय/जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी	
	सफाईकर्मी (जिला+संभाग+संघा0)	63		2,644		

क्र.	संविदा सेवा का वर्गीकरण	स्वीकृत पद संख्या	महिलाओं के लिए आरक्षण प्रतिशत	स्वीकृत संविदा मासिक पारिश्रमिक	नियोजनकर्ता प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
27	असिस्टेंट राईडर	1	-	19830	संचालक खेल और युवा कल्याण मध्यप्रदेश
28	ग्रंथपाल	1	-	13220	
29	सहायक ग्रंथपाल	1	-	10575	
30	बुक लिफ्टर	1	-	7932	
31	वॉटरमैन	1	-	5949	
32	जिला खेल प्रशिक्षक ग्रेड-1	80	50%	17847	संभाग/जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी
33	जिला खेल प्रशिक्षक ग्रेड-2	41	50%	13220	
34	मलखम्ब खेल प्रशिक्षक	12	33%	10575	
35	समन्वयक ग्रामीण युवा केन्द्र	313	50%	2644	
36	संविदा खिलाड़ी प्रशिक्षक	45	33%	11898 & 9253	संचालक खेल और युवा कल्याण मध्यप्रदेश
37	फिजियो थेरेपिस्ट/फिटनेस ट्रेनर	1	-	15202	
38	प्रशिक्षक ग्रेड-1	3	-	17847	
39	सहायक प्रशिक्षक ग्रेड-2	3	-	13220	
40	मुख्य प्रशिक्षक (क्याकिंग, केनोईंग, क्रिकेट एवं फुटबाल)	3	-	22500	संचालक खेल और युवा कल्याण मध्यप्रदेश
41	प्रशिक्षक (क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबाल, एथलेटिक्स, टेबिल टेनिस, टेनिस, क्रिकेट (महिला), जूडो, बैडमिंटन, फुटबाल एवं योग)	11	33%	16859	
योग :-		894	-	-	

नोट :-

- कॉलम क्रं. (03) में यथा दर्शित संविदा मासिक पारिश्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिनांक 01.04.2016 के अनुसार निर्धारित है।
- उपरोक्त निर्धारित मानदेय में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल को पारिश्रमिक की गणना और संशोधित किया जाएगा।

अनूसूची-दो
संविदात्मक सेवा के लिए आयु तथा चयन समिति
(नियम 2(ड) देखिए)

क्रमांक	संविदा सेवा का पद	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं तथा पात्रता	चयन समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	प्रशिक्षक सह प्रशासक (शूटिंग अकादमी)	18	25	1. स्नातक 2. सीनियर राष्ट्रीय खेल/चैम्पियनशिप में पदक	1. संयुक्त संचालक / उप संचालक 2. संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित एक राजपत्रित अधिकारी 3. संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित एक राजपत्रित अधिकारी 4. संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक तकनीकी सदस्य
2.	प्रशिक्षक सह प्रशासक (पुरुष हॉकी एकेडमी)	18	25	1. स्नातक 2. सीनियर राष्ट्रीय खेल/चैम्पियनशिप में पदक	--तदैव--
3.	मुख्य प्रशिक्षक सह प्रशासक (केनोईंग क्याकिंग एवं तीरंदाजी जबलपुर)	18	25	1. स्नातक 2. सीनियर राष्ट्रीय खेल/चैम्पियनशिप में पदक	--तदैव--
4.	सहायक प्रशिक्षक सह सहायक प्रशासक, मार्शल आर्ट (कराते, कुश्ती, बॉक्सिंग एवं शीवा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स)	18	25	1. स्नातक 2. सीनियर राष्ट्रीय खेल/चैम्पियनशिप में पदक	--तदैव--
5.	सहायक प्रशिक्षक सह सहायक प्रशासक, फेंसिंग	18	25	1. स्नातक 2. सीनियर राष्ट्रीय खेल/चैम्पियनशिप में पदक	--तदैव--
6.	सहायक प्रशिक्षक सह सहायक प्रशासक, शूटिंग	18	25	1. स्नातक 2. सीनियर राष्ट्रीय खेल/चैम्पियनशिप में पदक	--तदैव--
7.	सहायक प्रशिक्षक -- मार्शल आर्ट (शू. कराते, ताईक्वांडो, जूडो, कुश्ती, फेंसिंग एवं बॉक्सिंग), पुरुष हॉकी एकेडमी, महिला हॉकी एकेडमी, बैडमिंटन एकेडमी, तीरंदाजी अकादमी एवं शीवा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स)	18	25	1. स्नातक 2. सीनियर राष्ट्रीय खेल/चैम्पियनशिप में पदक	--तदैव--
8.	सहायक प्रशिक्षक, क्रिकेट	18	25	1. स्नातक 2. सीनियर राष्ट्रीय खेल/चैम्पियनशिप में प्रतिभागी	--तदैव--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	फिजियोथेरेपिस्ट	18	25	1. फिजियोथेरेपी में स्नातक 2. फिजियोथेरेपी में 02 वर्ष का शासकीय/अर्द्ध-शासकीय/प्रतिष्ठित संस्था में अनुभव।	-तदैव-
10.	नालबंद (फेरियर)	18	25	1. 8वीं कक्षा उत्तीर्ण 2. एक वर्ष का नालबंदी का (प्रतिष्ठित संस्था / प्रशिक्षण केन्द्र/क्लब) में अनुभव	—00—
11.	कम्प्यूटर ऑपरेटर सह लिपिक	18	25	1. स्नातक 2. निम्नलिखित संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर प्रशिक्षण उत्तीर्ण की हो :- (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (ग) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (घ) किसी शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट पाठ्यक्रम या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। 3. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद् या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सी. पी.सी.टी) प्रमाण-पत्र (स्कोर कार्ड) मार्कशीट के साथ। 4. शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय में कम्प्यूटर कार्य का एक वर्ष से अधिक का अनुभव। 5. प्रावीण्य प्रदर्शन।	1. संयुक्त संचालक / उप संचालक 2. संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित एक राजपत्रित अधिकारी 3. संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित एक राजपत्रित अधिकारी संभाग/जिले के लिए समिति 1. कलेक्टर 2. पुलिस अधीक्षक 3. कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित एक राजपत्रित अधिकारी 4. अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित एक राजपत्रित अधिकारी 5. संभागीय/जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी-सदस्य सचिव।
12.	वार्डन/मेटर्न	18	25	1. स्नातक 2. वार्डन/मेटर्न के रूप में शासकीय/अर्द्ध-शासकीय/मान्यताप्राप्त प्रतिष्ठित संस्थान में एक वर्ष का अनुभव।	1. संयुक्त संचालक / उप संचालक 2. संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित एक राजपत्रित अधिकारी 3. संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित एक राजपत्रित अधिकारी 4. संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक तकनीकी सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	लेखापाल	18	25	1. स्नातक 2. किसी शासकीय/अर्द्ध शासकीय/ मान्यताप्राप्त प्रतिष्ठित संस्था में एक वर्ष का लेखापाल के कार्य का अनुभव।	-तदेव-
14.	स्टोर कीपर	18	25	1. स्नातक 2. किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय मान्यताप्राप्त प्रतिष्ठित संस्था में स्टोर कीपर कार्य का एक वर्ष का अनुभव। 3. निम्नलिखित संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए :- क विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ख विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ग डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। घ किसी शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट पाठ्यक्रम उत्तीर्ण। या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। 4. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सी.पी.सी. टी) प्रमाण पत्र (अंकतालिका)	-तदेव-
15.	सहायक ग्रेड-दो	18	25	1. स्नातक 2. निम्नलिखित संस्थाओं में से किसी एक से कम्प्यूटर प्रशिक्षण उत्तीर्ण हो :- क विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ख विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।	-तदेव-

				<p>ग डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।</p> <p>घ किसी शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट पाठ्यक्रम उत्तीर्ण। या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट प्रमाण-पत्र उत्तीर्ण होना चाहिए।</p> <p>3. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सी.पी.सी.टी) प्रमाण-पत्र (स्कोर कार्ड)</p> <p>4. किसी शासकीय/ अर्द्धशासकीय मान्यताप्राप्त प्रतिष्ठित संस्था में लिपिकीय कार्य एक वर्ष का अनुभव।</p>	
16.	लाईफ गार्ड	18	25	<p>1. राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल से 10+2 हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>2. मान्यताप्राप्त संस्थान से लाईफ सेविंग कोर्स</p>	-तदैव-
17.	बोट मास्टर	18	25	<p>1. हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>2. अधिकृत एजेन्सी से बोट चलाने संबंधी प्रमाण-पत्र</p> <p>3. तैराकी प्रायोगिक में उत्कृष्टता</p>	-तदैव-
18.	फोटोग्राफर	18	25	<p>1. राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल या किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्डरी (पुरानी) या (10+2 शिक्षा पद्धति से) परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>2. मान्यताप्राप्त संस्था से वीडियोग्राफी में डिप्लोमा।</p> <p>3. किसी शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ प्रतिष्ठित संस्था से एक वर्ष का वीडियोग्राफी का अनुभव</p>	-तदैव-
19.	सुरक्षाकर्मी	18	25	<p>1. हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>2. शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता संबंधी प्रमाण पत्र</p> <p>3. न्यूनतम ऊंचाई 5'5"</p> <p>4. दृष्टि 6/6</p> <p>5. फ्लेट फुट, रतौंधी, नॉक नी नहीं होना चाहिए।</p>	<p>1. संयुक्त संचालक / उप संचालक</p> <p>2. संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित एक राजपत्रित अधिकारी</p> <p>3. संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित एक राजपत्रित अधिकारी</p> <p><u>संभाग / जिले के लिए समिति</u></p> <p>1. कलेक्टर</p> <p>2. पुलिस अधीक्षक</p> <p>3. कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से</p>

					संबंधित एक राजपत्रित अधिकारी 4. अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित एक राजपत्रित अधिकारी 5. संभागीय/जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी-सदस्य सचिव।
20.	चौकीदार	18	25	8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए	---तदैव---
21.	वाहन चालक	18	25	1. 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए 2. भारी तथा हल्के वाहन की अनुज्ञापति 3. किसी मान्यताप्राप्त प्रतिष्ठित शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था से वाहन चालन के रूप में एक वर्ष का अनुभव। 4. प्रायोगिक प्रवीण्य	1. संयुक्त संचालक / उप संचालक 2. संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित एक राजपत्रित अधिकारी 3. संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित एक राजपत्रित अधिकारी 4. संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक तकनीकी सदस्य
22.	सईस	18	25	1. 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए 2. किसी मान्यताप्राप्त प्रतिष्ठित शासकीय/अर्द्ध शासकीय/ का एक वर्ष का अनुभव।	---तदैव---
23.	एफ.आर.पी. बोट मैकेनिक	18	25	1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र उत्तीर्ण 2. एफ.आर.पी. बोट मैकेनिक के कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव।	---तदैव---
24.	मोटर बोट ऑपरेटर	18	25	1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र उत्तीर्ण। 2. अधिकृत एग्जेंसी का बोट चलाने का प्रमाण-पत्र। 3. तैराकी की प्रायोगिक प्रवीण्य	---तदैव---
25.	इलेक्ट्रिशियन	18	25	1. राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल या किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी (पुरानी) या (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण। 2. किसी शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था से एक वर्ष का अनुभव। 3. आई.टी.आई से डिप्लोमा	---तदैव---
26.	कारपेंटर	18	25	1. 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए 2. आई.टी.आई से एक वर्ष का डिप्लोमा उत्तीर्ण 3. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था से एक वर्ष का अनुभव	---तदैव---
27.	रसोईया	18	25	1. 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए 2. शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्था में एक वर्ष का अनुभव। 3. प्रायोगिक में प्रवीण्य	---तदैव---
28.	ग्राउण्डमैन	18	25	1. हाई स्कूल प्रमाण-पत्र उत्तीर्ण 2. किसी शासकीय/अर्द्ध शासकीय/ मान्यताप्राप्त प्रतिष्ठित खेल संघ/संस्था से एक वर्ष का अनुभव	1. संयुक्त संचालक / उप संचालक 2. संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित एक राजपत्रित अधिकारी

					<p>3. संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित एक राजपत्रित अधिकारी संभाग/जिले के लिए समिति</p> <p>1. कलक्टर</p> <p>2. पुलिस अधीक्षक</p> <p>3. कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित एक राजपत्रित अधिकारी</p> <p>4. अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित एक राजपत्रित अधिकारी</p> <p>5. संभागीय/जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी-सदस्य सचिव।</p>
29.	भृत्य	18	25	8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।	<p>1. संयुक्त संचालक / उप संचालक</p> <p>2. संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित एक राजपत्रित अधिकारी</p> <p>3. संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित एक राजपत्रित अधिकारी</p> <p>4. संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक तकनीकी सदस्य</p>
30.	सफाईकर्मि	18	25	8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।	<p>1. संयुक्त संचालक / उप संचालक</p> <p>2. संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित एक राजपत्रित अधिकारी</p> <p>3. संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित एक राजपत्रित अधिकारी संभाग/जिले के लिए समिति</p> <p>1. कलक्टर</p> <p>2. पुलिस अधीक्षक</p> <p>3. कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित एक राजपत्रित अधिकारी</p> <p>4. अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित एक राजपत्रित अधिकारी</p> <p>5. संभागीय/जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी-सदस्य सचिव।</p>

31.	असिस्टेड राईडर	18	25	1. हाई स्कूल प्रमाण-पत्र उत्तीर्ण 2. किसी शासकीय / अर्द्धशासकीय / प्रतिष्ठित मान्यताप्राप्त खेल संघ / संस्था में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव।	1. संयुक्त संचालक / उप संचालक 2. संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित एक राजपत्रित अधिकारी 3. संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित एक राजपत्रित अधिकारी 4. संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक तकनीकी सदस्य
32.	ग्रंथपाल (लायब्रेरियन)	18	25	1. पुस्तकालय विज्ञान में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि। 2. किसी मान्यताप्राप्त प्रतिष्ठित शासकीय / अर्द्धशासकीय मान्यताप्राप्त / प्रतिष्ठित संस्थान में ग्रंथपाल के रूप में एक वर्ष का अनुभव	---तदैव---
33.	सहायक ग्रंथपाल (सहायक लायब्रेरियन)	18	25	1. पुस्तकालय विज्ञान में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। 2. किसी शासकीय / अर्द्धशासकीय मान्यताप्राप्त / प्रतिष्ठित संस्थान में ग्रंथपाल के रूप में एक वर्ष का अनुभव।	---तदैव---
34.	बुक लिफ्टर	18	25	1. हायर सेकेंडरी (10+2) उत्तीर्ण। 2. किसी शासकीय / अर्द्धशासकीय मान्यताप्राप्त प्रतिष्ठित संस्थान में बुक लिफ्टर के रूप में एक वर्ष का अनुभव।	---तदैव---
35.	वॉटरमैन	18	25	8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।	---तदैव---
36.	जिला खेल प्रशिक्षक ग्रेड-एक	18	25	1. स्नातक उपाधि। 2. एन.आई.एस. डिप्लोमा या अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी या विक्रम पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार विजेताओं को अनुसूची-दो में क्रमांक 3 व 4 में दर्शाई गई पात्रता अनुसार नियुक्ति विक्रम पुरस्कार एवं विश्वामित्र पुरस्कार की दशा में वरिष्ठता पुरस्कार के वर्ष के आधार पर नियत की जाएंगी एकलव्य पुरस्कार विजेताओं को कुल प्राप्तांको पर पृथक् से 15 अंक दिए जाएंगे।	1. कलक्टर 2. पुलिस अधीक्षक 3. कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित एक राजपत्रित अधिकारी 4. अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित एक राजपत्रित अधिकारी 5. संभागीय / जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी-सदस्य सचिव।
37.	जिला खेल प्रशिक्षक ग्रेड-दो	18	25	1. एम.पी.एड एवं राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी अथवा बीपीएड तथा राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी एवं किसी शासकीय / अर्द्धशासकीय मान्यताप्राप्त प्रतिष्ठित खेल संघ में एक वर्ष के प्रशिक्षण के रूप में अनुभव	---तदैव---

38	मलखम्ब खेल प्रशिक्षक	18	25	<ol style="list-style-type: none"> 1. हाई स्कूल (10+2 शिक्षा पद्धति से) परीक्षा उत्तीर्ण 2. मलखम्ब खेल में राष्ट्रीय चैम्पियनशीप में पदक प्राप्त किया हो 3. मान्यता प्राप्त खेल संघ से 06 माह के प्रशिक्षण का अनुभव 	—तदैव—
39	संविदा खिलाड़ी प्रशिक्षक (मानदेय 11898 रुपये)	18	25	<ol style="list-style-type: none"> 1. स्नातक 2. राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में प्रतिभागिता 	<ol style="list-style-type: none"> 1. संयुक्त संचालक / उप संचालक 2. संचालक द्वारा नामांकित एक अनु.जा. या अनु.ज.जा. या अ.पि. व. का राजपत्रित अधिकारी 3. संचालक द्वारा नामांकित एक अल्पसंख्यक वर्ग का राजपत्रित अधिकारी 4. संचालक द्वारा नामांकित तकनीकी सदस्य
40	संविदा खिलाड़ी प्रशिक्षक (मान 9253 रु.)	18	25	<ol style="list-style-type: none"> 1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी (पुरानी) या (10+2 शिक्षा पद्धति से) परीक्षा उत्तीर्ण 2. राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में प्रतिभागिता 	—तदैव—
41	समन्वयक ग्रामीण युवा केन्द्र	18	25	<ol style="list-style-type: none"> 1. न्यूनतम हायर सेकेंडरी (10+2) 2. अधिमान्य खेलों में जिले/संभाग का प्रतिनिधित्वकर्ता खिलाड़ी अथवा राज्य / राष्ट्रीय युवा उत्सव में भाग अथवा राष्ट्रीय युव पुरस्कार प्राप्त युवा 	—तदैव—
42	प्रशिक्षक ग्रेड-1 (तीरंदाजी सहायक प्रशिक्षण केन्द्र)	18	25	<ol style="list-style-type: none"> 1. स्नातक 2. एन.आई.एस. डिप्लोमा अथवा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अथवा विक्रम पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार विजेताओं को अनुसूची-2 के क्रमांक 3 व 4 में दर्शाई गई पात्रताधारी उम्मीदवार को सीधे नियुक्ति की पात्रता होगी, एक पद के विरुद्ध विक्रम एवं विश्वामित्र पुरस्कार प्राप्त अन्यर्था के संबंध में पुरस्कार प्राप्ति वर्ष की वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी. एकलव्य पुरस्कार विजेताओं को कुल प्राप्तांको पर पृथक-पृथक 15 प्रतिशत अधिभार की पात्रता होगी - 	—तदैव—
43	सहायक प्रशिक्षक ग्रेड-2 (तीरंदाजी सहायक प्रशिक्षण केन्द्र)	18	25	<ol style="list-style-type: none"> 1. एम.पी.एड एवं राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी अथवा बीपीएड एवं राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी एवं किसी शासकीय / अर्द्धशासकीय मान्यता प्राप्त खेल संघ में 01 वर्ष के प्रशिक्षण का अनुभव 	<ol style="list-style-type: none"> 1. संयुक्त संचालक / उप संचालक 2. संचालक द्वारा नामांकित एक अनु.जा. या अनु.ज.जा. या अ.पि. व. का राजपत्रित अधिकारी 3. संचालक द्वारा नामांकित एक अल्पसंख्यक वर्ग का राजपत्रित अधिकारी

						4. संचालक द्वारा नामांकित तकनीकी सदस्य
44	मुख्य प्रशिक्षक दतिया प्रशिक्षण केन्द्र (केनोईग-क्याकिंग)	18	25	1. स्नातक 2. सीनियर राष्ट्रीय खेल/ चैम्पियनशिप में पदक		---तदैव---
45	मुख्य प्रशिक्षक दतिया प्रशिक्षण केन्द्र (क्रिकेट)	18	25	1. स्नातक 2. सीनियर राष्ट्रीय खेल/ चैम्पियनशिप में पदक		1. संयुक्त संचालक / उप संचालक 2. संचालक द्वारा नामांकित एक अनु.जा. या अनु.ज.जा. या अ.पि. व. का राजपत्रित अधिकारी 3. संचालक द्वारा नामांकित एक अल्पसंख्यक वर्ग का राजपत्रित अधिकारी 4. संचालक द्वारा नामांकित तकनीकी सदस्य
46	मुख्य प्रशिक्षक शिवपुरी प्रशिक्षण केन्द्र (फुटबाल)	18	25	1. स्नातक 2. सीनियर राष्ट्रीय खेल/ चैम्पियनशिप में पदक		---तदैव---
47	प्रशिक्षक (क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबाल, एथलेटिक्स, टेबिल टेनिस, टेनिस, क्रिकेट (महिला), जूडो, बैडमिंटन, एवं फुटबाल)	18	25	1. स्नातक 2. सीनियर राष्ट्रीय खेल/ चैम्पियनशिप में पदक		---तदैव---
48	प्रशिक्षक योग	18	25	1. स्नातक 2. मान्यता प्राप्त संस्थान से योग डिप्लोमा 3. एमपीएड उत्तीर्ण		---तदैव---

मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए आयु सीमा में अधिकतम छूट का प्रावधान निम्नानुसार होगा :-

(1)	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	25 + 15 = 40
(2)	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	25 + 20 = 45
(3)	पुरुष/महिला आवेदक (शास./निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	25 + 20 = 45
(4)	पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग - अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	25 + 20 = 45
(5)	पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग - शास./निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	25 + 20 = 45
(6)	निःशक्तजन आवेदकों के लिए	25 + 20 = 45

प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों के सभी पदों को किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु-सीमा में छूट प्राप्त नहीं होगी

11	स्टाफ्फिक	9243	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
12	एच.डी.डी.	9259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
13	लाइफटाइम	7932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
14	एच.डी.डी.	7832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
15	कॉन्सटबल	7932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
16	गुरावामी	7932	4	3	0	0	0	2	0	0	3	2	0	1	0	22	0	3	0	0	0	0	0	0	46
17	टीकीदार	5288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	57
18	वहल करक	7932	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
19	रडंस	7932	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
20	एफ.ओ.सी. ऑटो मैकेनिक	7270	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
21	ऑटो ऑटो रिपेयर	7270	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
22	ऑटो रिपेयरिंग	7270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
23	ऑटो रिपेयर	7270	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
24	रसीदगी	7270	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
25	ग्राइंडिंग	7270	1	0	0	1	1	0	2	2	1	0	0	0	19	0	1	3	0	0	0	0	0	0	31
27	कुल	5949	0	1	0	0	0	0	3	0	2	3	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	10

28	स्फार्डकमी	5288	2	3	1	1	1	1	6	1	3	1	0	0	19	0	2	3	0	0	0	43
29	स्फार्डकमी	2844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	7	0	0	0	0	0	0	83
30	अस्टिड सार्डर	19830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
31	प्रधपाल	13220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
32	सहायक प्रधपाल	10675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
33	भुक सिधर	7932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
34	कॉटलेन	5949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
35	जिला खेले प्रशिक्षक 15-14क	17847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	80
36	जिला खेले प्रशिक्षक ग्रुड-दो	13220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	41
37	महालय खेले प्रशिक्षक	10675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12
38	समन्वयक ग्रामीण युवा केन्द्र	2844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313	0	0	0	0	0	0	0	0	313
39	खिलाडी खेले (15 वर्गवर्षी)	11896802 53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	45
40	किसिको- असिस्ट / किटनेस ट्रेनर	15202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
41	प्रशिक्षक ग्रेड-एक	17847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
42	सहायक प्रशिक्षक ग्रेड-दो	13220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
43	मुख्य प्रशिक्षक	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3
44	प्रशिक्षक	18369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	0	11
		योग	10	17	10	14	6	29	14	10	4	569	50	68	14	10	15	6	8	10	894	

अनूसूची - चार
चयन का मापदण्ड
(नियम-7 देखिए)

क्रमांक (1)	पद (2)	अहता (3)	प्राप्तांक/श्रेणी (4)	विहित अंक (5)
1	प्रशिक्षक-सह- प्रशासक	1. स्नातक	60 प्रतिशत से अधिक	20 अंक
			50 से 60 प्रतिशत	15 अंक
			50 प्रतिशत से कम	10 अंक
		2. ओलम्पिक / वर्ल्डकप	प्रथम	1000 अंक
			द्वितीय	900 अंक
			तृतीय	800 अंक
			सहभागी	700 अंक
		3. एशियन गेम्स / कॉमन वेल्थ गेम्स	प्रथम	700 अंक
			द्वितीय	600 अंक
			तृतीय	500 अंक
			सहभागी	400 अंक
		4. एशियन चैम्पियनशिप / अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप	प्रथम	400 अंक
			द्वितीय	300 अंक
			तृतीय	200 अंक
			सहभागी	100 अंक
		5. राष्ट्रीय खेल / चैम्पियनशिप	प्रथम	50 अंक
			द्वितीय	40 अंक
			तृतीय	30 अंक
			सहभागी	20 अंक
		6. राष्ट्रीय टीम का एक वर्ष के लिए कोचिंग का अनुभव अनिवार्य होगा (एक वर्ष से अधिक के अनुभव के लिए पर 20 अंक दिए जाएंगे)	---	20 अंक
7. कोचिंग द्वारा एन.आई.एस. डिप्लोमा / एल.एन.आई.पी.ई. ग्वालियर से पी.जी.डिप्लोमा	---	150 अंक		
8. एम.पी.एड. बी.पी.एड.	---	30 अंक 20 अंक		
9. विश्वामित्र पुरस्कार विक्रम पुरस्कार एकलव्य पुरस्कार	---	100 अंक 75 अंक 50 अंक		
2.	प्रशिक्षक-सह- प्रशासक (पुरुष हॉकी एकडेमी)	1. स्नातक	60 प्रतिशत से अधिक	20 अंक
			50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत	15 अंक
			50 प्रतिशत से कम	10 अंक
		2. ओलम्पिक / वर्ल्डकप	प्रथम	1000 अंक
			द्वितीय	900 अंक
			तृतीय	800 अंक
			सहभागी	700 अंक
		3. एशियन गेम्स / कॉमन वेल्थ गेम्स	प्रथम	700 अंक
			द्वितीय	600 अंक
			तृतीय	500 अंक
			सहभागी	400 अंक
		4. एशियन चैम्पियनशिप / अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप	प्रथम	400 अंक
			द्वितीय	300 अंक
			तृतीय	200 अंक

			सहभागी	100 अंक
		5.	राष्ट्रीय खेल / चैम्पियनशिप	50 अंक
			प्रथम	40 अंक
			द्वितीय	30 अंक
			तृतीय	20 अंक
			सहभागी	20 अंक
		6.	राष्ट्रीय टीम का एक वर्ष के लिए कोचिंग का अनुभव अनिवार्य होगा (एक वर्ष से अधिक के अनुभव के लिए पर 20 अंक दिए जाएंगे)	150 अंक
		7.	कोचिंग द्वारा एन.आई.एस. डिप्लोमा / एल.एन.आई.पी.ई., ग्वालियर से पी.जी.डिप्लोमा	30 अंक
		8.	एम.पी.एड. बी.पी.एड.	20 अंक
		9.	विश्वामित्र पुरस्कार विक्रम पुरस्कार एकलव्य पुरस्कार	100 अंक 75 अंक 50 अंक
3.	मुख्य प्रशिक्षक ---सह--- प्रशासक (केनोईग क्याकिंग एवं तीरंदाजी, जबलपुर) मुख्य प्रशिक्षक (केनोईग क्याकिंग, क्रिकेट प्रशिक्षण केन्द्र, दतिया मुख्य प्रशिक्षक, फुटबाल, प्रशिक्षण केन्द्र, शिवपुरी)	1.	स्नातक	60 प्रतिशत से अधिक 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत 50 प्रतिशत से कम
				20 अंक 15 अंक 10 अंक
		2.	ओलम्पिक / वर्ल्डकप	1000 अंक
			प्रथम	900 अंक
			द्वितीय	800 अंक
			तृतीय	700 अंक
			सहभागी	700 अंक
		3.	एशियन गेम्स / कॉमन वेल्थ गेम्स	600 अंक
			प्रथम	500 अंक
			द्वितीय	400 अंक
			तृतीय	400 अंक
			सहभागी	300 अंक
		4.	एशियन चैम्पियनशिप / अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप	300 अंक
			प्रथम	200 अंक
			द्वितीय	100 अंक
			तृतीय	100 अंक
			सहभागी	50 अंक
		5.	राष्ट्रीय खेल / चैम्पियनशिप	50 अंक
			प्रथम	40 अंक
			द्वितीय	30 अंक
			तृतीय	20 अंक
			सहभागी	20 अंक
		6.	राष्ट्रीय टीम का एक वर्ष के लिए कोचिंग का अनुभव अनिवार्य होगा (एक वर्ष से अधिक के अनुभव के लिए पर 20 अंक दिए जाएंगे)	150 अंक
		7.	कोचिंग द्वारा एन.आई.एस. डिप्लोमा / एल.एन.आई.पी.ई., ग्वालियर से पी.जी.डिप्लोमा	30 अंक
		8.	एम.पी.एड. बी.पी.एड.	20 अंक

		9.	विश्वामित्र पुरस्कार विक्रम पुरस्कार एकलव्य पुरस्कार	---	100 अंक 75 अंक 50 अंक
4.	सहायक प्रशिक्षक-सह-सहायक प्रशासक, मार्शल आर्ट (कराते, कुश्ती, बॉक्सिंग) एवं स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, (रीवा)	1.	स्नातक	60 प्रतिशत से अधिक	20 अंक
				50 से 60 प्रतिशत	15 अंक
				50 प्रतिशत से कम	10 अंक
		2.	ओलम्पिक / वर्ल्डकप	प्रथम	1000 अंक
				द्वितीय	900 अंक
				तृतीय	800 अंक
				सहभागी	700 अंक
		3.	एशियन गेम्स / कॉमन वेल्थ गेम्स	प्रथम	700 अंक
				द्वितीय	600 अंक
				तृतीय	500 अंक
				सहभागी	400 अंक
		4.	एशियन चैम्पियनशिप / अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप	प्रथम	400 अंक
				द्वितीय	300 अंक
तृतीय	200 अंक				
सहभागी	100 अंक				
5.	राष्ट्रीय खेल / चैम्पियनशिप	प्रथम	50 अंक		
		द्वितीय	40 अंक		
		तृतीय	30 अंक		
		सहभागी	20 अंक		
6.	राष्ट्रीय टीम का एक वर्ष के लिए कोचिंग का अनुभव अनिवार्य होगा (एक वर्ष से अधिक के अनुभव के लिए पर 20 अंक दिए जाएंगे)	---	20 अंक		
7.	कोचिंग द्वारा एन.आई.एस. डिप्लोमा / एल.एन.आई.पी.ई., ग्वालियर से पी.जी.डिप्लोमा	---	150 अंक		
8.	एम.पी.एड. बी.पी.एड.	---	30 अंक 20 अंक		
9.	विश्वामित्र पुरस्कार विक्रम पुरस्कार एकलव्य पुरस्कार	---	100 अंक 75 अंक 50 अंक		
5.	सहायक प्रशिक्षक-सह-सहायक प्रशासक, फेरिंग	1.	स्नातक	60 प्रतिशत से अधिक	20 अंक
				50 से 60 प्रतिशत	15 अंक
				50 प्रतिशत से कम	10 अंक
		2.	ओलम्पिक / वर्ल्डकप	प्रथम	1000 अंक
				द्वितीय	900 अंक
				तृतीय	800 अंक
				सहभागी	700 अंक
		3.	एशियन गेम्स / कॉमन वेल्थ गेम्स	प्रथम	700 अंक
				द्वितीय	600 अंक
तृतीय	500 अंक				
सहभागी	400 अंक				

		4.	एशियन चैम्पियनशिप/ अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप	प्रथम	400 अंक
				द्वितीय	300 अंक
				तृतीय	200 अंक
				सहभागी	100 अंक
		5.	राष्ट्रीय खेल / चैम्पियनशिप	प्रथम	50 अंक
				द्वितीय	40 अंक
				तृतीय	30 अंक
				सहभागी	20 अंक
		6.	राष्ट्रीय टीम का एक वर्ष के लिए कोचिंग का अनुभव अनिवार्य होगा (एक वर्ष से अधिक के अनुभव के लिए पर 20 अंक दिए जाएंगे)	---	20 अंक
7.	एन.आई.एस.डिप्लोमा / एल.एन.आई.पी.ई. ग्वालियर से पी.जी. डिप्लोमा	---	150 अंक		
8.	एम.पी.एड. बी.पी.एड.	---	30 अंक 20 अंक		
9.	विश्वामित्र पुरस्कार विक्रम पुरस्कार एकलव्य पुरस्कार	---	100 अंक 75 अंक 50 अंक		
6.	सहायक प्रशिक्षक-सह-सहायक प्रशासक शूटिंग	1.	स्नातक	60 प्रतिशत से अधिक	20 अंक
				50 से 60 प्रतिशत	15 अंक
				50 प्रतिशत से कम	10 अंक
		2.	ओलम्पिक / वर्ल्डकप	प्रथम	1000 अंक
				द्वितीय	900 अंक
				तृतीय	800 अंक
				सहभागी	700 अंक
		3.	एशियन गेम्स / कॉमन वेल्थ गेम्स	प्रथम	700 अंक
				द्वितीय	600 अंक
				तृतीय	500 अंक
				सहभागी	400 अंक
		4.	एशियन चैम्पियनशिप/ अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप	प्रथम	400 अंक
				द्वितीय	300 अंक
				तृतीय	200 अंक
				सहभागी	100 अंक
		5.	राष्ट्रीय खेल / चैम्पियनशिप	प्रथम	50 अंक
				द्वितीय	40 अंक
				तृतीय	30 अंक
				सहभागी	20 अंक
		6.	राष्ट्रीय टीम का एक वर्ष के लिए कोचिंग का अनुभव अनिवार्य होगा (एक वर्ष से अधिक के अनुभव के लिए पर 20 अंक दिए जाएंगे)	---	20 अंक
		7.	कोचिंग द्वारा एन.आई.एस. डिप्लोमा / एल.एन.आई.पी.ई. ग्वालियर से पी.जी. डिप्लोमा	---	150 अंक
8.	एम.पी.एड. बी.पी.एड.	---	30 अंक 20 अंक		
9.	विश्वामित्र पुरस्कार विक्रम पुरस्कार एकलव्य पुरस्कार	---	100 अंक 75 अंक 50 अंक		

7	सहायक प्रशिक्षक - मार्शल आर्ट (बूशू, कराते, ताईक्वांडो, जूडो, कुरुती, फैंसिंग एवं बाक्सिंग), पुरुष हॉकी एकेडमी, महिला हॉकी एकेडमी, बैडमिंटन एकेडमी, तीरंदाजी एकेडमी एवं रीवा स्पोर्ट्स काम्पलेक्स)	1	स्नातक	60% से अधिक	20 अंक
				59% से 50%	15 अंक
				50% से कम	10 अंक
		2	ओलम्पिक / वर्ल्डकप	प्रथम	1000 अंक
				द्वितीय	900 अंक
				तृतीय	800 अंक
				सहभागिता	700 अंक
		3	एशियन गेम्स / कॉमन वेल्थ गेम्स	प्रथम	700 अंक
				द्वितीय	600 अंक
				तृतीय	500 अंक
				सहभागिता	400 अंक
		4	एशियन चैम्पियनशिप / अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप	प्रथम	400 अंक
				द्वितीय	300 अंक
				तृतीय	200 अंक
				सहभागिता	100 अंक
		5	राष्ट्रीय खेल / चैम्पियनशिप	प्रथम	50 अंक
				द्वितीय	40 अंक
तृतीय	30 अंक				
सहभागिता	20 अंक				
6	संबंधित खेल में राष्ट्रीय स्तर की टीम / खिलाड़ियों को प्रशिक्षण का 1 वर्ष का अनुभव अनिवार्य (1 वर्ष से अधिक प्रत्येक वर्ष के अनुभव पर 20 अंक)		20 अंक		
7	एन.आई.एस.डिप्लोमा / एल.एन.आई.पी.ई. ग्वालियर द्वारा कोचिंग पी.जी.डिप्लोमा		150 अंक		
8	एम.पी.एड बी.पी.एड		30 अंक 20 अंक		
9	विश्वामित्र पुरस्कार विक्रम पुरस्कार एकलव्य पुरस्कार		100 अंक 75 अंक 50 अंक		
8	सहायक प्रशिक्षक क्रिकेट	1	स्नातक	60% से अधिक	20 अंक
				59% से 50%	15 अंक
				50% से कम	10 अंक
		2	अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप	प्रथम	400 अंक
				द्वितीय	300 अंक
				तृतीय	200 अंक
				सहभागिता	100 अंक
		3	राष्ट्रीय चैम्पियनशिप	प्रथम	50 अंक
				द्वितीय	40 अंक
				तृतीय	30 अंक
सहभागिता	20 अंक				
4	एन.आई.एस.डिप्लोमा / एल.एन.आई.पी.ई. ग्वालियर द्वारा कोचिंग पी.जी.डिप्लोमा		150 अंक		

		5	एम.पी.एड बी.पी.एड		30 अंक 20 अंक
		6	विश्वामित्र पुरस्कार विक्रम पुरस्कार एकलव्य पुरस्कार		100 अंक 75 अंक 50 अंक
		7	राष्ट्रीय कैम्प अथवा राष्ट्रीय स्तर की टीम को प्रशिक्षण देने का अनुभव अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षक के रूप में भाग लेने का प्रमाण पत्र (प्रत्येक कोर्स की अवधि 15 दिवस की होना अनिवार्य)	प्रति कोर्स	50 अंक
9	फिजियो थेरेपिस्ट	1	फिजियो थेरेपी में मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक / बी.पी.टी.	50% से अधिक	60 अंक
				50% से कम	30 अंक
		2	फिजियो थेरेपी में स्नातक के पश्चात् 2 वर्ष का अनुभव । (2 वर्ष से अधिक प्रत्येक वर्ष के अनुभव पर समानुपात में अंक)	शासकीय अनुभव पर अर्द्धशासकीय अनुभव पर प्रतिष्ठित संस्था में अनुभव पर	60 अंक 40 अंक 20 अंक
10	नालबंद (फेरियर)	1	8वीं परीक्षा उत्तीर्ण	60% से अधिक	20 अंक
				59% से 50%	15 अंक
				50% से कम	10 अंक
		2	1 वर्ष का नालबंदी कार्य का अनुभव (प्रतिष्ठित संस्था / प्रशिक्षण केन्द्र / क्लब (1 वर्ष से अधिक प्रत्येक वर्ष के अनुभव पर समानुपात में अंक)		10 अंक
11	कम्प्यूटर ऑपरेटर कम लिपिक	1	स्नातक	60% से अधिक	20 अंक
				59% से 50%	15 अंक
				50% से कम	10 अंक
		2	मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण की हो :- क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा स्तर पर कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण । ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा स्तर पर कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण ।	60% से अधिक	50 अंक
				59% से 50%	40 अंक
				50% से कम	30 अंक

		(ग) किसी डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। (घ) किसी शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट पठ्यक्रम उत्तीर्ण या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटोआई) से एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में डिप्लोमा होना चाहिए।	50 प्रतिशत से कम	30 अंक
		3. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणोकरण परीक्षा (सी.पी.सी.टी) प्रमाण-पत्र।	---	50 अंक
		4. शासकीय कार्यालय में एक वर्ष से अधिक का अनुभव।	---	50 अंक
		5. राष्ट्रीय खेल, अधिकृत सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप, अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में पदक विजेता/भागीदारी।	प्रथम/द्वितीय/तृतीय भागीदारी	100 अंक 50 अंक
		6. राज्य स्तरीय खेल एवं मध्यप्रदेश राज्य स्कूल प्रतियोगिता में पदक विजेता/ भागीदारी	प्रथम द्वितीय तृतीय भागीदारी	40 अंक 30 अंक 20 अंक 10 अंक
		7. प्रदर्शन प्रवीण्य		20 अंक
12.	वार्डन/मैट्रन	1. स्नातक	60 प्रतिशत से अधिक 59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत 50 प्रतिशत से कम	20 अंक 15 अंक 10 अंक
		2. राष्ट्रीय खेल, अधिकृत सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप, अखिल भारतीय अन्तरविश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता में उपलब्धि।	प्रथम द्वितीय तृतीय सहभागी	50 अंक 40 अंक 30 अंक 20 अंक
		3. राज्य स्तरीय खेल एवं मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय स्कूल प्रतियोगिता।	प्रथम द्वितीय तृतीय भागीदारी	40 अंक 30 अंक 20 अंक 10 अंक
		4. वार्डन/मैट्रन के रूप में एक वर्ष का अनुभव (प्रतिष्ठित संस्था/प्रशिक्षण केन्द्र/कलब प्रति वर्ष के अनुभव पर, उसी अनुपात में अंक दिए जाएंगे)	शासकीय में अनुभव अर्द्धशासकीय में अनुभव मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित संस्था में अनुभव	30 अंक 20 अंक 10 अंक
13.	लेखापाल	1. स्नातक (वणिज्य संकाय)	60 प्रतिशत से अधिक 59 से 50 प्रतिशत 50 प्रतिशत से कम	20 अंक 15 अंक 10 अंक

		2	निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण की हो :- अ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा स्तर पर कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण। ब) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा स्तर पर कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण। स) किसी डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण। द) किसी शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट पाठ्यक्रम उत्तीर्ण। अथवा शासकीय आईटीआई द्वारा एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा) प्रमाण-पत्र।	60% से अधिक	50 अंक
				59% से 50%	30 अंक
				50% से कम	20 अंक
		3	टैली की अधिकृत परीक्षा एवं कार्यानुभव		10 अंक
		4	राष्ट्रीय खेल, अधिकृत सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप, अखिल भारतीय अन्तरविश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता में उपलब्धि	प्रथम	50 अंक
				द्वितीय	40 अंक
				तृतीय	30 अंक
				सहभागिता	20 अंक
		5	अधिकृत मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, म0प्र0 राज्य शालेय प्रतियोगिता,	प्रथम	40 अंक
				द्वितीय	30 अंक
				तृतीय	20 अंक
				भागीदारी	10 अंक
		6	किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रतिष्ठित संस्था में न्यूनतम 1 वर्ष केशियर/लेखापाल के कार्य का अनुभव (1 वर्ष से अधिक प्रत्येक वर्ष के अनुभव पर समानुपात में अंक)	शासकीय अनुभव पर अर्द्धशासकीय अनुभव पर मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित संस्थान में अनुभव पर	60 अंक 20 अंक 10 अंक
14	स्टोर कीपर	1	स्नातक (किसी भी संकाय में)	60% से अधिक	20 अंक
				59% से 50%	15 अंक
				50% से कम	10 अंक
		2	निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण की हो :-	60% से अधिक	50 अंक
				59% से 50%	30 अंक

		<p>क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा स्तर पर कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा स्तर पर कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>ग) किसी डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>घ) किसी शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट पाठ्यक्रम उत्तीर्ण। अथवा शासकीय आईटीआई द्वारा एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा) प्रमाण-पत्र।</p>	50% से कम	20 अंक	
		3	म.प्र. शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद या किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र अथवा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सी.पी.सी.टी) प्रमाण पत्र (स्कोर कार्ड)		50 अंक
		4	1 वर्ष का किसी शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ प्रतिष्ठित संस्था में स्टोर कीपर कार्य का अनुभव (1 वर्ष से अधिक प्रत्येक वर्ष के अनुभव पर समानुपात में अंक)	शासकीय अनुभव पर अर्द्धशासकीय अनुभव पर मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित संस्थान में अनुभव पर	30 अंक 20 अंक 10 अंक
15	सहायक ग्रेड-2	1	स्नातक (किसी भी संकाय में)	60% से अधिक 59% से 50% 50% से कम	20 अंक 15 अंक 10 अंक
		2	निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण की हो:-	60% से अधिक	50 अंक

			(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।	59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत	30 अंक
			(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।		
			(ग) किसी डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।		
			(घ) किसी शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट पाठ्यक्रम उत्तीर्ण या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) से एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में डिप्लोमा होना चाहिए।	50 प्रतिशत से कम	20 अंक
		3.	मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सी.पी.सी.टी) प्रमाण-पत्र।	---	50 अंक
		4.	एक वर्ष का अनुभव (प्रत्येक वर्ष के अनुभव पर पृथक् से 10 अंक दिए जाएंगे)	---	10 अंक न्यूनतम
16.	लाईफ गार्ड	1.	(10+2) पद्धति में हायर सेकेण्ड्री उत्तीर्ण	60 प्रतिशत से अधिक	15 अंक
				59 प्रतिशत से 50 प्रति	10 अंक
				50 प्रतिशत से कम	05 अंक
		2.	राष्ट्रीय तैराकी/गोताखोरी प्रतियोगिता	प्रथम	50 अंक
				द्वितीय	40 अंक
				तृतीय	30 अंक
				भागीदारी	20 अंक
		3.	राज्य स्तरीय तैराकी/गोताखोरी प्रतियोगिता	प्रथम	30 अंक
				द्वितीय	20 अंक
				तृतीय	10 अंक
भागीदारी	05 अंक				
4.	मान्यताप्राप्त संस्था से प्राण रक्षक पाठ्यक्रम (लाईफ सेविंग कोर्स)	---	50 अंक		
5.	प्रदर्शन प्रवीण्य	---	20 अंक		

17.	बोट मास्टर	1.	(10-2) पद्धति में हायर सेकेण्ड्री उत्तीर्ण	60 प्रतिशत से अधिक	15 अंक
				59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत	10 अंक
				50 प्रतिशत से कम	05 अंक
		2.	एन.सी.सी./नेवल डिग का प्रमाण-पत्र	"सी" सर्टिफिकेट	50 अंक
				"बी" सर्टिफिकेट	30 अंक
				"ए" सर्टिफिकेट	20 अंक
		3.	राष्ट्रीय तैराकी/गोताखोरी प्रतियोगिता	प्रथम	50 30 अंक
				द्वितीय	40 20 अंक
				तृतीय	30 05 अंक
				भागीदारी	20 20 अंक
		4.	राज्य स्तरीय तैराकी/गोताखोरी प्रतियोगिता	प्रथम	40 अंक
				द्वितीय	30 अंक
				तृतीय	20 अंक
भागीदारी	10 अंक				
5.	प्रदर्शन प्रवीण्य		20 अंक		
18.	फोटोग्राफर	1.	(10+2) पद्धति में हायर सेकेण्ड्री उत्तीर्ण	60 प्रतिशत से अधिक	15 अंक
				59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत	10 अंक
				50 प्रतिशत से कम	05 अंक
		2.	वीडियोग्राफी में डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए।	---	100 अंक
3.	किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/प्रतिष्ठित संस्था में एक वर्ष का अनुभव (एक वर्ष से अधिक अनुभव पर उसी अनुपात में अंक दिए जाएंगे)	शासकीय अनुभव में अर्द्धशासकीय अनुभव में मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित संस्था में अनुभव	30 अंक 20 अंक 10 अंक		
19.	सुरक्षाकर्मी	1.	(10+2) पद्धति में हायर सेकेण्ड्री उत्तीर्ण	60 प्रतिशत से अधिक	20 अंक
				59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत	15 अंक
				50 प्रतिशत से कम	10 अंक
		2.	अधिकृत मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, मध्यप्रदेश राज्य शालेय प्रतियोगिता,	प्रथम	40 अंक
				द्वितीय	30 अंक
				तृतीय	20 अंक
				भागीदारी	10 अंक
		3.	एन.सी.सी.प्रमाण पत्र या तो "ए" अथवा "बी" अथवा "सी"	---	25 अंक
4.	अभ्यर्थी की लंबाई न्यूनतम 5 फिट 5 इंच होनी चाहिए। शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ तथा दृष्टि 6/6 होनी चाहिए। रतौधी एवं अन्य शारीरिक विकलांगता, फ्लेट फुट एवं नॉक नी नहीं होने चाहिए। मेडिकल प्रमाण-पत्र शासकीय मेडिकल अधिकारी का आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। अधिकतम आयु 30 वर्ष	---			
20.	संविदा चौकीदार	1.	8वीं स्तर उत्तीर्ण	60 प्रतिशत से अधिक	20 अंक
				59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत	15 अंक
				50 प्रतिशत से कम	10 अंक

21	वाहन चालक	1	8वीं परीक्षा उत्तीर्ण		20 अंक
		2	भारी तथा हल्के वाहन चलाने की अनुज्ञापति प्राप्त हो		30 अंक
		3	शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव (प्रायोगिक) (1 वर्ष से अधिक प्रत्येक वर्ष के लिये 10 अंक के मान से)		10 अंक
		4	प्रवीण्यता प्रायोगिक		20 अंक
22	सईस	1	8वीं परीक्षा उत्तीर्ण	60% से अधिक	20 अंक
				59% से 50%	15 अंक
				50% से कम	10 अंक
		2	शासकीय/अर्द्धशासकीय/प्रतिष्ठित संस्था में 1 वर्ष का सईस के कार्य का कार्यानुभव (एक वर्ष से अधिक पर प्रतिवर्ष समानुपात में अंक)	शासकीय अनुभव पर अर्द्धशासकीय अनुभव पर मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित संस्थान में अनुभव पर	30 अंक 20 अंक 10 अंक
23	एफ.आर.पी. बोट मैकेनिक	1	10वीं परीक्षा उत्तीर्ण	60% से अधिक	15 अंक
				59% से 50%	10 अंक
				50% से कम	05 अंक
		2	एफ.आर.पी. बोट मैकेनिक कम्पनी अथवा किसी अन्य संस्थान में 6 माह का कार्य अनुभव (प्रायोगिक) (एक वर्ष के अनुभव को अधिकतम 5 अंक के मान से)		5 अंक न्यूनतम
3	प्रवीण्यता प्रायोगिक		20 अंक		
24	मोटर बोट ऑपरेटर	1	10वीं परीक्षा उत्तीर्ण	60% से अधिक	15 अंक
				59% से 50%	10 अंक
				50% से कम	05 अंक
		2	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मोटर बोट संचालन का प्रशिक्षण अथवा लायसेंस प्राप्त		30 अंक
		4	मोटर बोट आपरेटर एक अच्छा तैराक हो (प्रायोगिक)		15 अंक
		5	मोटर बोट आपरेटर को ओ.बी.एम. इंजन की तकनीकी दक्षता हासिल हो (प्रायोगिक)		15 अंक
		6	राज्य स्तरीय तैराकी/गोताखोरी प्रतियोगिता	प्रथम	40 अंक
				द्वितीय	30 अंक
3	तृतीय	20 अंक			
4	भागीदारी	10 अंक			
7	मोटर बोट संचालन का 1 वर्ष का अनुभव (प्रतिवर्ष 10 अंक के मान से)		10 अंक न्यूनतम		
8	प्रवीण्यता प्रायोगिक		20 अंक		
25	इलेक्ट्रिशियन	1	माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्ड्री (पुरानी) या (10+2 शिक्षा पद्धति से) परीक्षा उत्तीर्ण	60% से अधिक	20 अंक
				59% से 50%	15 अंक
				50% से कम	10 अंक

		2.	आई.टी.आई.से एक वर्ष का प्रशिक्षण एवं डिप्लोमा	---	30 अंक
		3.	किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था से एक वर्ष का अनुभव (प्रत्येक एक वर्ष के अनुभव के लिए 10 अंक दिए जाएंगे)	---	10 अंक न्यूनतम
26.	कारपेंटर	1.	8वीं कक्षा उत्तीर्ण	60 प्रतिशत से अधिक	15 अंक
				59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत	10 अंक
				50 प्रतिशत से कम	05 अंक
		2.	आई.टी.आई.से एक वर्ष का प्रशिक्षण एवं डिप्लोमा	---	30 अंक
		3.	किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था से एक वर्ष का अनुभव (प्रत्येक एक वर्ष के अनुभव के लिए 10 अंक दिए जाएंगे)	---	10 अंक न्यूनतम
27.	रसोईया	1.	8वीं कक्षा उत्तीर्ण	60 प्रतिशत से अधिक	20 अंक
				59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत	15 अंक
				50 प्रतिशत से कम	10 अंक
		2.	प्रदर्शन प्रवीण्य	---	20 अंक
		3.	कम से कम एक वर्ष का अनुभव (प्रायोगिक) (प्रत्येक वर्ष के लिए 10 अंक दिए जाएंगे)	---	10 अंक
28.	ग्राउण्डमेन	1.	हाई स्कूल प्रमाण-पत्र उत्तीर्ण	60 प्रतिशत से अधिक	20 अंक
				59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत	15 अंक
				50 प्रतिशत से कम	10 अंक
		2.	अधिकृत मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय शालेय प्रतियोगिता	प्रथम	40 अंक
द्वितीय	30 अंक				
तृतीय	20 अंक				
		3.	किसी शासकीय/अर्द्ध-शासकीय/मान्यताप्राप्त स्पोर्ट्स क्लब/संस्था से ग्राउण्डमेन के रूप में एक वर्ष का अनुभव	भागीदारी	10 अंक
शासकीय में अनुभव	30 अंक				
अर्द्धशासकीय में अनुभव	20 अंक				
				मान्यताप्राप्त प्रतिष्ठित संस्था में अनुभव	10 अंक
29.	भृत्य	1.	8वीं कक्षा उत्तीर्ण	60 प्रतिशत से अधिक	20 अंक
				59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत	15 अंक
				50 प्रतिशत से कम	10 अंक
30.	सफाईकमी	1.	8वीं कक्षा उत्तीर्ण	60 प्रतिशत से अधिक	20 अंक
				59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत	15 अंक
				50 प्रतिशत से कम	10 अंक
31.	अस्सिस्टेंट राईडर	1.	हाई स्कूल प्रमाण-पत्र उत्तीर्ण	60 प्रतिशत से अधिक	20 अंक
				59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत	15 अंक
				50 प्रतिशत से कम	10 अंक

		2.	किसी शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ मान्यताप्राप्त स्पोर्ट्स क्लब/संस्था से न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव (प्रतिवर्ष के अनुभव पर अंक दिए जाएंगे)	शासकीय में अनुभव	30 अंक
				अर्द्धशासकीय में अनुभव	20 अंक
				मान्यताप्राप्त प्रतिष्ठित संस्था में अनुभव	10 अंक
32.	लायब्रेरियन	1.	किसी मान्यताप्राप्त संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि	60 प्रतिशत से अधिक	50 अंक
				59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत	40 अंक
				50 प्रतिशत से कम	30 अंक
		2.	किसी शासकीय / अर्द्धशासकीय/ मान्यताप्राप्त प्रतिष्ठित संस्था में ग्रंथपाल के रूप में एक वर्ष का अनुभव (प्रतिवर्ष के अनुभव पर अंक दिए जाएंगे)	शासकीय में अनुभव	30 अंक
				अर्द्धशासकीय में अनुभव	20 अंक
				मान्यताप्राप्त प्रतिष्ठित संस्था में अनुभव	10 अंक
33.	सहायक लायब्रेरियन	1.	किसी मान्यताप्राप्त संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक उपाधि	60 प्रतिशत से अधिक	20 अंक
				59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत	15 अंक
				50 प्रतिशत से कम	10 अंक
		2.	किसी शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ मान्यताप्राप्त प्रतिष्ठित संस्था में सहायक ग्रंथपाल के रूप में एक वर्ष का अनुभव (प्रतिवर्ष के अनुभव पर अंक दिए जाएंगे)	शासकीय में अनुभव	30 अंक
				अर्द्धशासकीय में अनुभव	20 अंक
				मान्यताप्राप्त प्रतिष्ठित संस्था में अनुभव	10 अंक
34.	बुक लिफ्टर	1.	(10+2) पद्धति में हायर सेकेण्ड्री उत्तीर्ण	60 प्रतिशत से अधिक	20 अंक
				59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत	15 अंक
				50 प्रतिशत से कम	10 अंक
		2.	किसी शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ मान्यताप्राप्त प्रतिष्ठित संस्था में बुक लिफ्टर के रूप में एक वर्ष का अनुभव (प्रतिवर्ष के अनुभव पर अंक दिए जाएंगे)।	शासकीय में अनुभव	30 अंक
				अर्द्धशासकीय में अनुभव	20 अंक
				मान्यताप्राप्त प्रतिष्ठित संस्था में अनुभव	10 अंक
35.	वॉटरमैन	1.	8वीं कक्षा उत्तीर्ण	60 प्रतिशत से अधिक	20 अंक
				59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत	15 अंक
				50 प्रतिशत से कम	10 अंक
36.	जिला खेल प्रशिक्षक ग्रेड-एक, प्रशिक्षक ग्रेड-एक एवं प्रशिक्षक (क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबाल, एथलेटिक्स, टेबिल टेनिस, टेनिस, क्रिकेट (महिला), जूडो, बैडमिंटन, एट फुटबाल)	1.	कोचिंग में, एन.आई.एस.डिप्लोमा/एल.एन.आई.पी.ई., ग्वालियर से पी.जी. डिप्लोमा	---	150 अंक
		2.	स्नातक	60 प्रतिशत से अधिक	20 अंक
				59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत	15 अंक
				50 प्रतिशत से कम	10 अंक
		3.	विश्वामित्र पुरस्कार	---	200 अंक
		4.	विक्रम पुरस्कार	---	150 अंक
		5.	स्व.प्रभाष जोशी	---	150 अंक
		6.	एकलव्य पुरस्कार	---	100 अंक
		7.	अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप	प्रथम	150 अंक
				द्वितीय	125 अंक
				तृतीय	100 अंक
				सहभागी	50 अंक

		8	राष्ट्रीय खेल/ चैम्पियनशिप	प्रथम		50 अंक
				द्वितीय		40 अंक
				तृतीय		30 अंक
				सहभागिता		20 अंक
37	जिला खेल प्रशिक्षक ग्रेड-2 एवं सहायक प्रशिक्षक ग्रेड-2	1	अधिकृत राष्ट्रीय खेल, सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप, अखिल भारतीय अंतरविश्वविद्यालयीन, राष्ट्रीय शालेय प्रतियोगिता के पदक विजेता	प्रथम		50 अंक
				द्वितीय		30 अंक
				तृतीय		20 अंक
		2	किसी शासकीय/ अर्द्धशासकीय संस्था में प्रशिक्षक के कार्य का 1 वर्ष का अनुभव (प्रतिवर्ष के अनुभव पर समानुपात में अंक)			10 अंक
38	मलखम्ब खेल प्रशिक्षक	1	माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्ड्री (पुरानी) या (10+2 शिक्षा पद्धति से) परीक्षा उत्तीर्ण	60% से अधिक		20 अंक
				59% से 50%		15 अंक
				50% से कम		10 अंक
		2	मलखम्ब खेल में राष्ट्रीय प्रतियोगिता		व्यक्तिगत स्पर्धा	दलीय स्पर्धा
				प्रथम	50 अंक	30 अंक
				द्वितीय	40 अंक	20 अंक
				तृतीय	30 अंक	10 अंक
				सह-भागिता	05 अंक	05 अंक
		3	मलखम्ब खेल में अखिल भारतीय अंतरविश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता	प्रथम	30 अंक	15 अंक
				द्वितीय	20 अंक	10 अंक
				तृतीय	10 अंक	05 अंक
		4	किसी शासकीय विभाग/संस्था में मलखम्ब प्रशिक्षक के पद पर 1 वर्ष का कार्य अनुभव (प्रतिवर्ष के अनुभव पर समानुपात में अंक)			10 अंक
		5	विक्रम/स्व.प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार			150 अंक
39	संविदा खिलाड़ी प्रशिक्षक (मानदेय 11898 रुपये)	1	एन.आई.एस.डिप्लोमा/एल.एन.आई.पी.ई. ग्वालियर द्वारा कोचिंग पी.जी.डिप्लोमा			150 अंक
		2	स्नातक	60% से अधिक		20 अंक
				59% से 50%		15 अंक
				50% से कम		10 अंक
		3	बीपीएड			20 अंक
		4	विक्रम पुरस्कार			150 अंक
		5	एकलव्य पुरस्कार			100 अंक
		6	अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप	प्रथम		150 अंक
				द्वितीय		125 अंक
				तृतीय		100 अंक
				सहभागिता		50 अंक
		7	राष्ट्रीय खेल/ चैम्पियनशिप	प्रथम		50 अंक
				द्वितीय		40 अंक
				तृतीय		30 अंक
				सहभागिता		20 अंक

40	संविदा खिलाड़ी प्रशिक्षक (मान 9253 रु.)	1	माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी (पुरानी) या (10+2 शिक्षा पद्धति से) परीक्षा उत्तीर्ण	60% से अधिक	20 अंक
				59% से 50%	15 अंक
				50% से कम	10 अंक
		2	बीपीएड		20 अंक
					150 अंक
		3	विक्रम पुरस्कार		100 अंक
		5	अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप	प्रथम	150 अंक
				द्वितीय	125 अंक
				तृतीय	100 अंक
				सहभागिता	50 अंक
		6	राष्ट्रीय खेल / चैम्पियनशिप	प्रथम	50 अंक
				द्वितीय	40 अंक
				तृतीय	30 अंक
सहभागिता	20 अंक				
41	समन्वयक ग्रामीण युवा केन्द्र	1	न्यूनतम हायर सेकेंडरी (10+2)	60% से अधिक	20 अंक
				59% से 50%	15 अंक
				50% से कम	10 अंक
		2	राष्ट्रीय खेल / चैम्पियनशिप	प्रथम	50 अंक
				द्वितीय	40 अंक
				तृतीय	30 अंक
				सहभागिता	20 अंक
		3	अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता	प्रथम	40 अंक
				द्वितीय	30 अंक
				तृतीय	20 अंक
				सहभागिता	10 अंक
		4	अधिकृत संभाग / जिला स्तरीय प्रतियोगिता	प्रथम	30 अंक
				द्वितीय	20 अंक
				तृतीय	10 अंक
सहभागिता	05 अंक				
5	संबंधित विकासखंड के निवासी		50 अंक		
6	अंतर्राष्ट्रीय यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम में प्रतिभागिता		100 अंक		
7	राष्ट्रीय युवा पुरस्कार		50 अंक		
8	राष्ट्रीय युवा उत्सव	प्रथम	50 अंक		
		द्वितीय	40 अंक		
		तृतीय	30 अंक		
		सहभागिता	20 अंक		
9	राज्य युवा उत्सव	प्रथम	40 अंक		
		द्वितीय	30 अंक		
		तृतीय	20 अंक		
		सहभागिता	10 अंक		
42	प्रशिक्षक योग	1	स्नातकोत्तर	60% से अधिक	25 अंक
				59% से 50%	20 अंक
				50% से कम	15 अंक

	2.	स्नातक	60 प्रतिशत से अधिक	20 अंक
			59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत	15 अंक
			50 प्रतिशत से कम	10 अंक
	3	एम0पी0एड0	75 प्रतिशत से अधिक	40 अंक
			60 प्रतिशत से 75 प्रतिशत	20 अंक
			50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत	10 अंक
			50 प्रतिशत से कम	05 अंक
	4	बी0पी0एड0	75 प्रतिशत से अधिक	30 अंक
			60 प्रतिशत से 75 प्रतिशत	20 अंक
			50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत	10 अंक
			50 प्रतिशत से कम	05 अंक
	5	मान्यताप्राप्त संस्था से योगा में डिप्लोमा	60 प्रतिशत से अधिक	20 अंक
			59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत	15 अंक
			50 प्रतिशत से कम	10 अंक

- टीप :-
1. प्रदर्शन प्रवीण्य से अभिप्रेत है, प्रायोगिक गुणवत्ता एवं कार्यानुभव का परीक्षण।
 2. प्रवीण्य प्रदर्शन परीक्षण हेतु, संचालक, विशेषज्ञ को नामनिर्दिष्ट करेगा।
 3. प्रत्येक पदक/प्रतियोगिता के अंकों की गणना अलग-अलग होगी।
 4. मार्शल आर्ट से अभिप्रेत है, वूशु, कराते, जूडो, ताईक्वांडो, कुश्ती, फैंसिंग एवं बाक्सिंग खेल।
 5. प्राधिकृत राष्ट्रीय प्रतियोगिता से अभिप्रेत है, भारत सरकार के मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप इसमें फेडरेशन कप एवं आमंत्रण प्रतियोगिताएं आदि राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सम्मिलित नहीं होगी।
 6. अभ्यर्थी द्वारा जिस खेल विधा के लिए आवेदन किया गया है, उसी से संबंधित उपरोक्त मानक उपलब्धियों की गणना की जाएगी।
 7. यदि आवेदक ने उन्हीं खेलों के लिए आवेदन किया है, तो संबंधित खेलों में ही एकलव्य, विक्रम एवं विश्वामित्र पुरस्कारों के अंकों की गणना की जाएगी।

100/- के स्टॉम्प पर

उपाबंध
संविदा का प्ररूप
(नियम 10 देखिए)

प्रथम पक्षकार के रूप में श्री/कु0..... आत्मज श्री
(जिन्हें इसमें इस के पश्चात् संविदा.....कहा जाएगा) एवं द्वितीय पक्षकार के रूप में संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, भोपाल, मध्यप्रदेश या संभागीय/ जिला, खेल और युवा कल्याण अधिकारी, जिला....., (जिसे इसमें इसके पश्चात् संविदा नियोजक कहा जाएगा) के मध्य आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता साक्षियों के समक्ष संविदा निष्पादित की गई है।

अतएव, संविदा नियोजक, संवेदा भर्ती नियम, 2017 में दी गई अतिरिक्त निबन्धनों एवं शर्तों पर दिनांक से संविदा के रूप में नियुक्ति के लिए सहमत है:-

- (1) यहकि, संविदा पर नियुक्त श्री/कु0 की श्रेणी किसी भी दशा में शासकीय सेवक के रूप में नहीं मनी जाएगी।
- (2) श्री/कु0 संविदाको दिनांकसे एक वर्ष की कालावधि के लिए होगी, जिसकी अवधि दिनांक को पूर्ण होगी।
- (3) प्रथम पक्षकार अपना संपूर्ण समय सेवा के कर्तव्य के प्रति समर्पित करेगा/करेगी तथा अपने स्वयं को किसी व्यापार, कारोबार, व्यवसाय या जीविका में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में नहीं लगाएगा/लगाएगी।
- (4) संविदा सेवक ने ऐसे अवकाश की पूर्व स्वीकृत न ले ली हो तब तक वह कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं रहेगा या दुर्घटना या बीमारी की दशा में सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सय प्रमाण-पत्र पेश करना होगा।
- (5) संविदा की समाप्ति एक कैलेंडर वर्ष में एक माह के पूर्व लिखित सूचना के जारी करने के पश्चात् किसी भी पक्षकार द्वारा प्रेषित की जा सकेगी, संविदा नियोजक द्वारा जारी की गई ऐसी सूचना समुचित सूचना के रूप में विचार की जाएगी, यदि ऐसी सूचना संविदात्मक पते के नाम पर संबोधित तथा उसके पते पर रजिस्टर्ड पावती डाक द्वारा भेजी गई है :

परन्तु प्रथम पक्षकार की संविदात्मक सेवा बिना किसी सूचना के संबंधित द्वारा समाप्त कि जाएगी, तब संबंधित कार्यालय उसे संविदात्मक सेवा का एक माह का पारिश्रामिक भुगतान करेगा :

परन्तु यह और कि यदि ठेकेदार संविदात्मक अवधि के पूर्ण होने के पूर्व संविदा समाप्त करना चाहता है तो वह संबंधित कार्यालय को एक माह का पारिश्रामिक भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

- (6) यहकि, यदि संविदात्मक इस अनुबंध के निबंधनों तथा शर्तों का दुराचरण या भंग करता है या समय-समय पर उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तथा उसे दिए गए निदेशों का जानबूझकर पालन नहीं करता है, तो प्रथम पक्षकार की संविदात्मक सेवा सूचना के जारी बिना किसी भी क्षण समाप्त की जा सकती है।
- (7) यहकि, प्रथम पक्षकार पारिश्रामिक के रूप में प्रतिमाह रूपए की राशि संदत्त करेगा।

- (8) यहकि, प्रथम पक्षकार पेंशन की सुविधा के लिए पात्र नहीं होगा।
- (9) यहकि, जब वह कर्तव्य पर यात्रा कर रहा हो तो प्रथम पक्षकार शासकीय सेवक की श्रेणी की भांति अनुज्ञेय यात्रा भत्ता के लिए पात्र होगा।
- (10) यहकि, प्रथम पक्षकार के चरित्र का सत्यापन नियुक्ति के तत्काल पश्चात् किया जावेगा, प्रथम पक्षकार इस प्रयोजन के लिए 15 दिवस की कालावधि के भीतर ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा। प्रथम पक्षकार के चरित्र सत्यापन के दौरान यदि कोई विरोधात्मक तथ्य पाया जाता है तो नियुक्ति प्राधिकारी सुनवाई का एक उपयुक्त अवसर देने के पश्चात् उसके विरोध सिद्ध हुए आधारों पर प्रथम पक्षकार की संविदात्मक सेवा समाप्त कर दी जावेगी।
- (11) यहकि, यदि प्रथम पक्षकार पूर्व अनुमति के बिना अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है या अवकाश की अवधि ओर बढ़ाता है तो मध्यप्रदेश खेल और युवा कल्याण (भर्ती तथा संविदा की शर्त) नियम 2017 के नियम 13 के उपनियम (4) में दिए गए उपबंध में उपबंधित के अनुसार तो ऐसे कालावधि को पारिश्रमिक समुचित अनुपात में कम हो जाएगा।
- (12) यहकि, प्रथम पक्षकार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय उसे सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

यह अनुबंध उपरोक्त वर्णित तारीख में साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया तथा इस अनुबंध पर संचालनालय खेल और युवा कल्याण मध्यप्रदेश के कार्यालय या संभागीय/जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी की पदमुद्रा अंकित है।

साक्षी

- | | |
|--------------------|---|
| 1.(हस्ताक्षर) | (1) संविदात्मक सेवा |
|(नाम) |हस्ताक्षर |
| 2.(हस्ताक्षर) |(नाम) |
|(नाम) | (2) संविदात्मक कर्मचारी की मुद्रा तथा हस्ताक्षर |
| |(नाम) |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण मिश्रा, उपसचिव.

Bhopal, the 16th February 2018

No. 1-10-2016-9.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the rules relating to the appointment and conditions of service of members of the Madhya Pradesh Sports and Youth Welfare Contractual Service, namely :-

RULES

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Sports and Youth Welfare Contractual Service Recruitment (Appointment and Conditions of Service) Rules, 2017.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Annexure" means the annexure appended to these rules;
- (b) "Appointing Authority" means the authority as prescribed for the particular category in Schedule-I;
- (c) "authorized" means the competitions organized by National Sports Association recognized by the Government of India and State Level Sports Association recognized by the Government of Madhya Pradesh;
- (d) "contractual servant" means the contractual servant under the provisions of these rules;
- (e) "contractual appointment" means a person appointed on contract under the provisions of these rules;

- (f) "district" means the revenue district of Madhya Pradesh;
- (g) "eligibility" means the eligibilities as mentioned in Schedule-II;
- (h) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (i) "Government Institute" means the department and affiliated institutions of Government of Madhya Pradesh;
- (j) "Head of the Department" means the Director, Sports and Youth Welfare, Madhya Pradesh, Bhopal;
- (k) "merit list" means the proficiency list prepared by the Selection Committee;
- (l) "post" means the posts so prescribed in column (2) of Schedule-I;
- (m) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;
- (n) "Selection Committee" means the Committee prescribed in Schedule-II for concerned category;
- (o) "State" means the State of Madhya Pradesh;
- (2) The power of State Government to prescribe.- In these rules wherever the provision to prescribe is mentioned, the same shall be carried out by the Government by way of a working order.

3. Scope and Application .- These rules shall extend to the whole State of Madhya Pradesh and shall apply on every contractual servant appointed on State/District level.

4. Classification and contractual remuneration.- The classification and their contractual remuneration shall be such as prescribed in the Schedule-I.

5. Method of selection of appointment.- After the commencement of these rules, the appointment of contractual

servants shall be made under the provisions of the these rules, namely:-

- (1) The whole process of selection shall be done by a committee so constituted on the State/ Directorate/District level as prescribed in column (6) of Schedule-II. The members of the selection committee shall be nominated by the Director, Sports and Youth Welfare, Madhya Pradesh.
- (2) No fees shall be charged for Application. Application shall only be accepted in the appropriate format.
- (3) Trainer-cum-Administrator, Shooting, Hockey, Chief Trainer-cum-Administrator, Canoeing Kayaking, Archery Assistant Trainer-cum-Assistant Administrator, Shooting, Assistant Trainer-cum-Assistant Administrator, Marshal Art (Karate, Wrestling, Facing and Boxing), Assistant Trainer, Marshal Art (Wrestling, Karate, Boxing, Vushu, Taekwondo, Judo and Facing), Male Hockey, State Female Hockey, Cricket, Archery and Badminton Academy, Physiotherapist, Nalband (Ferrier), except sais. It shall be mandatory for the applicant to produce the Domicile Certificate of Madhya Pradesh issued by the Competent Authority.
- (4) It shall be mandatory that the applicant shall have a live registration in any of the Employment Office of Madhya Pradesh.
- (5) If the applicant belongs to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes, then he shall produce a attested copy of certificate to this effect issued by a competent authority.
- (6) The applicant shall furnish a character certificate issued by a Gazetted Officer.
- (7) Applicant shall attach all the attested copies of his testimonials on the date of submitting his application in the concerned office. On

the basis of which his application shall be checked and applicant's numbers shall be calculated on the table. A copy of mark sheet duly signed by the competent authority shall be furnished to the applicant and another shall be kept with the applicant's copy in record. The merit list of the applicants shall be prepared by the committee on the basis of marks obtained.

(8) It shall be mandatory to produce the original testimonials at the time of the selection. On the basis of which they shall be informed in writing regarding the marks obtained by them so that there shall be impartiality in the process of selection. The purpose of keeping impartiality in the process of selection is to choose the best contractual servant.

(9) In case of any dispute, the decision of the selection committee shall be final thereupon.

(10) It shall be ensured that the register of receipt of applications of the applicant, attestation of the testimonials, verification of the obtained marks of the applicant, merit list, the written recommendations of the selection committee, declaration of merit list, order of contractual appointment and medical certificate etc. and all the records regarding the test shall be kept in safe custody with the concerned competent authority by the selection committee.

(11) The provisions of the Madhya Pradesh Public Service (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Evem Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall be applicable on the appointment of contractual servant.

(12)(a) The vacant posts shall be reserved for the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Public Service (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit

Janjatiyon Evem Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), directions issued by the General administration Department in the Notification No. F-6-1/2002 Aa. Pra./1, dated 19th September, 2002, and the provisions of the Madhya Pradesh Public Service (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Evem Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Niyam, 1998.

- (b) Thirty three percent posts shall be reserved for the female candidates in accordance with the provisions of Madhya Pradesh Civil Services (Special Provision for the Appointment of Women) Rules, 1997.
- (c) If the candidates of Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Classes are not found in appropriate number, then the remaining reserved vacancies shall not be filled up by the candidates of other category and the said vacancies shall be kept reserved for the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes for the next selection.
- (d) Fifty percent reservation shall be kept for women on the vacant posts of contractual District Sports Trainer/Youth Coordinator, Village Youth Centre.
- (e) Other things which shall be notified by the Government for different categories.
- (f) As per the provisions of Madhya Pradesh Civil Services (Special Provision for the Appointment of Women) Rules, 1997 the upper age shall be relaxed for woman candidate up to 10 years, but the same shall not exceed 45 years.

(13) The requirement and necessity of the contractual District Sports Trainer shall be revised by the Directorate of Sports and Youth Welfare, from time to time.

6. Eligibility for selection.-(1) After scrutiny of applications by the Selection Committee a different merit lists shall be prepared for Unreserved, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes categories. For preparing the merit list the maximum marks shall be given as per Schedule-IV.

(2)(a) To calculate one year experience at least 8 months' experience shall be mandatory. For an experience of less than 8 months' experience no marks shall be given.

(b) If the same number of marks are obtained in the category wise merit list then the preference shall be given to the candidate who is more elder.

7. Preparation of merit list.-(1) After examining the applications under sub-rule (7) of rule 6, a merit list shall be prepared, as per rule 6 separate merit list shall be prepared for different categories and as per rule 7 the names of the candidates shall be mentioned separately. Merit list shall be prepared separately cadre wise wherein the candidate who has obtained maximum number of marks shall be kept on top and other names shall be kept in diminishing manner. If the name of any candidate of reserved category is found in merit list of unreserved category, he shall not be counted against the vacancy of reserved category.

(2) The merit list shall be issued after examining and jointly signed by all the members of the Selection Committee. On the basis of the merit list the appointment orders shall be issued as per the vacancies available. Such appointment order shall be issued by the Director, Sports and Youth Welfare, Madhya Pradesh or Divisional/

District Sports and Youth Welfare Officer. This merit list shall be valid for 90 days from the date of declaration.

8. Publication of merit list.- The merit list shall be published on notice board of the office of the Director, Sports and Youth Welfare, Madhya Pradesh, Divisional and District Sports and Youth Welfare Officer.

9. Period of contractual appointment.- The selected person shall be appointed for a period of one year on contractual basis. He shall be expected to work as per the provisions of these rules on contractual appointment. The record of every contractual servant shall be maintained in the prescribed Form by the Director, Sports and Youth Welfare, Madhya Pradesh/Divisional/ District Sports and Youth Welfare Officer:

Provided that as per the directions of the Government the appointment of selected person can be for a period of less than one year and his period of contract can be extended up to one year.

10. Extension of contractual period.- (1) After completion of period of one year, on the basis of the report of the concerned Incharge Officer/Superintendent of Police of the district, the period of contract can be extended for another year by taking a final decision by the Director, Sports and Youth Welfare, Madhya Pradesh on the basis of the performance.

(2) After every extension of the contractual period, new contract shall have to be incorporated.

11. Discipline and control.- The contractual servant shall be under the disciplinary and administrative control of the Director, Sports and Youth Welfare, Madhya Pradesh/Divisional/ District Sports and Youth Welfare Officer. The Director, Sports and Youth

Welfare, Madhya Pradesh may take a disciplinary action against the contractual servant as prescribed, on the basis of the proposals/ reports received from the prescribed officers in this regard.

12. Other conditions.- (1) The contractual servant who is appointed under these rules shall never be considered as a Government Servant.

(2) The person appointed under these rules shall not claim the travelling allowance as per permissible to the Government Servants.

(3) The person appointed under these rules shall not be eligible for pension or any other retiral benefits.

(4) The person appointed under these rules shall be eligible for 13 casual leaves and 3 optional leaves. In case of female contractual servant, she shall be eligible for 90 days' maternity leave and in case of male contractual servant he shall be eligible for 15 days' paternal leave, but no contractual servant shall be eligible for any other leave.

(5) The contractual servant shall not be transferred from his place of posting and his place of posting shall be his headquarter.

(6) Any person appointed under these rules shall not be eligible for dearness allowance, house rent allowance or any other allowance.

(7) Before the expiry of contractual period, the services can be terminated either by giving one month prior notice or by paying a month's salary by the either parties.

(8) Any person appointed under these rules shall be governed by the any conduct rule applicable to the Government

servants. The other conditions remain as shall be mentioned in the contract.

13. Interpretation.- If any question arises regarding the interpretation of these, the same shall be referred to the State Government and its decision shall be final thereupon.

14. Repeal and Saving.- All other rules relating to this subject matter which are in existence before the commencement of these rules are hereby repealed:

Provided that any order made or any action taken under the said rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
KIRAN MISHRA, Dy. Secy.

Schedule - I
Classification and Remuneration of Contractual Service
(See rule 5)

No.	Classification of contractual service	No. of sanctioned posts	Percentage of reservation for women	Sanctioned contractual monthly remuneration	Appointing Authority.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Trainer-cum-Administrator	2	--	33,049	Director, Sports and Youth Welfare, Madhya Pradesh
2.	Chief Trainer-cum-Administrator (Canoeing Kayaking and Archery, Bhopal)	2	--	29,744	
3.	Assistant Trainer-cum-Assistant Administrator	10	33%	26,439	
4.	Assistant Trainer	17	33%	19,830	
5.	Physiotherapist	1	--	15,202	
6.	Nalband Ferrier	1	--	13,220	
7.	Computer Operator-cum-Clerk	12	33%	10,575	
8.	Warden	1	--	10,575	Director, Sports and Youth Welfare, Madhya Pradesh
9.	Matron	2	--	10,575	
10.	Accountant	2	--	10,575	
11.	Storekeeper	2	--	9,253	
12.	Assistant Grade-II	1	-	9,253	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Lifeguard	3	--	7,932	Director, Sports and Youth Welfare, Madhya Pradesh
14.	Boat Master	1	--	7,932	
15.	Photographer	1	--	7,932	
16.	Security Guard	46	33 %	7,932	1. Director, Sports and Youth Welfare, Madhya Pradesh 2. Divisional/ District Sports and Youth Welfare Officer.
	Choukidar (District Division)	57		5,288	
17.	Driver	6	--	7,932	Director, Sports and Youth Welfare, Madhya Pradesh
18.	Sais	5	--	7,932	
19.	F.R.P. Boat Mechanic	1	--	7,270	
20.	Motor Boat Operator	1	--	7,270	
21.	Electrician	1	--	7,270	
22.	Carpenter	1	--	7,270	
23.	Chef	3	--	7,270	
24.	Ground man	31	33%	7,270	
	Ground man (District Office)	51		4,627	
25.	Peon	10	33%	5,949	Director, Sports and Youth Welfare, Madhya Pradesh
26.	Sweeper	43	33%	5,288	1. Director, Sports and Youth Welfare, Madhya Pradesh 2. Divisional/ District Sports and Youth
	Sweeper (District+Division+ Directorate)	63		2,644	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Welfare Officer. (6)
27.	Assistant Rider	1	--	19,830	Director, Sports and Youth Welfare, Madhya Pradesh
28.	Librarian	1	--	13,220	
29.	Assistant Librarian	1	--	10,575	
30.	Book Lifter	1	--	7,932	
31.	Waterman	1	--	5,949	
32.	District Sports Trainer Grade-I	80	50%	17,847	Divisional/District Sports and Youth Welfare Officer
33.	District Sports Trainer Grade-II	41	50%	13,220	
34.	Malkhamb Sports Trainer	12	33%	10,575	
35.	Coordinator, Rural Youth Centre	313	50%	2,644	
36.	Contractual Sportsman Trainer	45	33%	11,898 and 9,253	Director, Sports and Youth Welfare, Madhya Pradesh
37.	Physiotherapist/Fitness Trainer	1	--	15,202	
38.	Trainer Grade-I	3	--	17,847	
39.	Assistant Trainer Grade-II	3	--	13,220	
40.	Chief Trainer (Kayaking, Canoeing, Cricket and Football)	3	--	22,500	
41.	Trainer [Cricket, Badminton, Football, Athletics, Table Tennis, Tennis, Cricket (Women), Judo, Badminton, Football]	11	33%	16,859	
	Total	894	---	---	----

Note :

- The contractual monthly remuneration as shown in column No. (3) is fixed as per the consumer value sensex dated 01.04.2016.
- The above said remuneration shall be calculated and revised on 1st of April every year according to the consumer value sensex.

Schedule - II
Age and Selection Committee for Contractual Service

[See rule 2(e)]

No.	Post of Contractual Service	Min- mum age	Max- mum age	Minimum educational qualification and eligibility	Members of the Selection Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Trainer-cum-Administrator (Shooting Academy)	18	25	1. Graduate 2. Medal in Senior National Sports/ Championship	1. Joint Director/Deputy Director 2. A gazetted officer belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes category, nominated by the Director 3. A gazetted officer belonging to the Minority Category nominated by the Director. 4. A Technical Member nominated by the Director
2.	Trainer-cum-Administrator (Male Hockey Academy)	18	25	1. Graduate 2. Medal in Senior National Sports/ Championship	-----Do-----
3.	Chief Trainer-cum- Administrator (Canoeing Kayaking and Archery, Jabalpur)	18	25	1. Graduate 2. Medal in Senior National Sports/ Championship	-----Do-----
4.	Assistant Assistant Marshal Wrestling, Boxing and Rewa Sports Complex)	18	25	1. Graduate 2. Medal in Senior National Sports/ Championship	-----Do-----

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Assistant Trainer-cum-Administrator, Phasing	18	25	1. Graduate 2. Medal in Senior National Sports/Championship	-----Do-----
6.	Assistant Trainer-cum-Administrator, Shooting	18	25	1. Graduate 2. Medal in Senior National Sports/Championship	-----Do-----
7.	Assistant Trainer, Marshal Art (Vushu, Karate, Taekwondo, Judo, Wrestling, Phasing and Boxing), Male Hockey Academy, Badminton Academy, Archery Academy and Rewa Sports Complex)	18	25	1. Graduate 2. Medal in Senior National Sports/Championship	-----Do-----
8.	Assistant Trainer, Cricket	18	25	1. Graduate 2. Participant in Senior National Sports/Championship	-----Do-----
9.	Physiotherapist	18	25	1. Bachelor of Physiotherapy 2. Two years experience in physiotherapy in Government/Semi-Government/Recognized Institution.	-----Do-----

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Naalband (Ferrier)	18	25	<p>1. 8th Class pass</p> <p>2. One year's experience in naalbandi (Prestigious institution/training centre/club)</p>	-----Do-----
11.	Computer Operator-cum-Clerk	18	25	<p>1. Graduate</p> <p>2. Must have passed computer training from either of the following institutions :-</p> <p>a. Must have passed the computer diploma examination from any University recognized by the University Grants Commission.</p> <p>b. Must have passed the computer diploma examination from any Open University recognized by the University Grants Commission.</p> <p>c. Must have passed diploma level examination from D.O.E.A.C.C.</p>	<p>1. Joint Director/Deputy Director</p> <p>2. A gazetted officer belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes category, nominated by the Director</p> <p>3. A gazetted officer belonging to the Minority Category nominated by the Director.</p> <p>Committee for Division/District</p> <p>1. Collector</p> <p>2. Superintendent of Police</p> <p>3. A gazetted officer belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes category, nominated by the Collector</p> <p>4. A gazetted officer belonging to the Minority Category.</p> <p>5. Divisional/District Sports and Youth Welfare Officer - Member Secretary.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		18	25	<p>d. Must have passed a course of Modern Office Management from a Government Polytechnic or One year Diploma in Computer Operator and Programming Assistant from a Government Industrial Training Institute.</p> <p>3. A certificate of Hindi Typing passed from the Madhya Pradesh Shorthand and Typing Board or a Certificate of C.P.C.T. with mark-sheet from Science and Technology.</p> <p>4. Experience of more than one year in any Government or Semi-Government Office.</p> <p>5. Merit demonstration.</p>	
12.	Warden/Matron	18	25	<p>1. Graduate</p> <p>2. One year's experience as a Warden/Matron in any Government/Semi-Government/Recognized prestigious institution.</p>	<p>1. Joint Director/Deputy Director</p> <p>2. A gazetted officer belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes category, nominated by the Director</p> <p>3. A gazetted officer belonging to the Minority Category nominated by the Director.</p> <p>4. A Technical Member nominated by the Director</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Accountant	18	25	1. Graduate 2. One year's experience as an Accountant in any Government/Semi-Government/Recognized prestigious institution.	-----Do-----
14.	Store Keeper	18	25	1. Graduate 2. One year's experience as a Store Keeper in any Government/Semi-Government/Recognized prestigious institution. 3. Must have passed computer training from either of the following institutions :- a. Must have passed the computer diploma examination from any University recognized by the University Grants Commission. b. Must have passed the computer diploma examination from any Open University recognized by the University Grants Commission.	-----Do-----

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		18	25	<p>c. Must have passed diploma level examination from D.O.E.A.C.C.</p> <p>d. Must have passed a course of Modern Office Management from a Government Polytechnic or One year Diploma in Computer Operator and Programming Assistant from a Government Industrial Training Institute.</p> <p>4. A certificate of Hindi Typing passed from the Madhya Pradesh Shorthand and Typing Board or a Certificate of C.P.C.T. with mark-sheet from Science and Technology.</p>	
15.	Assistant Grade-II	18	25	<p>1. Graduate</p> <p>2. Must have passed computer training from either of the following institutions :-</p> <p>a. Must have passed the computer diploma examination from any University recognized by the University Grants Commission.</p>	-----Do-----

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<p>b. Must have passed the computer diploma examination from any Open University recognized by the University Grants Commission.</p> <p>c. Must have passed diploma level examination from D.O.E.A.C.C.</p> <p>d. Must have passed a course of Modern Office Management from a Government Polytechnic or One year Diploma in Computer Operator and Programming Assistant from a Government Industrial Training Institute.</p> <p>3. A certificate of Hindi Typing passed from the Madhya Pradesh Shorthand and Typing Board or a Certificate of C.P.C.T. with mark-sheet from Science and Technology.</p> <p>4. One year's experience in clerical work from any Government/Semi-Government/Recognized prestigious institution</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	Life Guard	18	25	1. 10+2 Higher Secondary Examination passed from State Board of Secondary Education. 2. Life Saving Course from any recognized Institutions	-----Do-----
17.	Boat Master	18	25	1. High School Examination passed 2. Certificate from an authorized agency regarding boat rowing. 3. Excellent in swimming practically.	-----Do-----
18.	Photographer	18	25	1. Higher Secondary (Old) or (10+2) Examination passed from State Board of Secondary Education or any recognized Board. 2. Diploma in Videography from any recognized Institution 3. One year's experience Videography from any Government/Semi-Government/Recognized prestigious institution	-----Do-----

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	Security Guard	18	25	1. Higher Secondary (10+2) Examination passed 2. A certificate for physical and mental fitness. 3. Minimum height 5'5" 4. Eye sight 6/6 5. Flat foot, night blindness and knock knee must not be found	1. Joint Director/Deputy Director 2. A gazetted officer belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes category, nominated by the Director 3. A gazetted officer belonging to the Minority Category nominated by the Director. Committee for Division/District 1. Collector 2. Superintendent of Police 3. A gazetted officer belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes category, nominated by the Collector 4. A gazetted officer belonging to the Minority Category. 5. Divisional/District Sports and Youth Welfare Officer - Member Secretary. -----Do-----
20.	Choukidar	18	25	Must be 8th Class pass.	
21.	Driver	18	25	1. Must be 8th Class pass. 2. License of Heavy and Light Motor Vehicle 3. One year's experience as a Driver from any Government/Semi-Government/Recognized prestigious institution 4. Excellent practical.	1. Joint Director/Deputy Director 2. A gazetted officer belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes category, nominated by the Director 3. A gazetted officer belonging to the Minority Category nominated by the Director. 4. A Technical Member nominated by the Director

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	Sais	18	25	<p>1. Must be 8th Class pass.</p> <p>2. One year's experience from any Government/Semi-Government/Recognized prestigious institution</p>	-----Do-----
23.	F.R.P. Boat Mechanic	18	25	<p>1. High School Certificate pass</p> <p>2. One year's experience as F.R.P. Boat Mechanic from any Government/Semi-Government/Recognized prestigious institution</p>	-----Do-----
24.	Motor Boat Operator	18	25	<p>1. High School Certificate pass</p> <p>2. Certificate of boat rowing from an authorized agency</p> <p>3. Excellence in swimming must be practical</p>	-----Do-----
25.	Electrician	18	25	<p>1. Higher Secondary (Old) or (10+2) Examination passed from State Board of Secondary Education or any recognized Board.</p> <p>2. One year's experience from any Government/Semi-Government institution</p> <p>3. Diploma from I.T.I.</p>	-----Do-----

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26.	Carpenter	18	25	1. Must be 8 th Class pass. 2. One year Diploma pass from I.T.I. 3. One year's experience from any Government/Semi-Government institution	-----Do-----
27.	Chef	18	25	1. Must be 8 th Class pass. 2. One year's experience from any Government/Semi-Government institution 3. Practical in Excellency.	-----Do-----
28.	Groundman	18	25	1. High School Certificate pass 2. One year's experience from any Government/Semi-Government/Recognized prestigious sports union/institution	1. Joint Director/Deputy Director 2. A gazetted officer belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes category, nominated by the Director 3. A gazetted officer belonging to the Minority Category nominated by the Director. Committee for Division/District 1. Collector 2. Superintendent of Police 3. A gazetted officer belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes category, nominated by the Collector 4. A gazetted officer belonging to the Minority Category. 5. Divisional/District Sports and Youth Welfare Officer - Member Secretary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29.	Peon	18	25	Must be 8 th Class pass.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Joint Director/Deputy Director 2. A gazetted officer belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes category, nominated by the Director 3. A gazetted officer belonging to the Minority Category nominated by the Director. 4. A Technical Member nominated by the Director
30.	Sweeper	18	25	Must be 8 th Class pass.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Joint Director/Deputy Director 2. A gazetted officer belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes category, nominated by the Director 3. A gazetted officer belonging to the Minority Category nominated by the Director. <p>Committee for Division/District</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Collector 2. Superintendent of Police 3. A gazetted officer belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes category, nominated by the Collector 4. A gazetted officer belonging to the Minority Category. 5. Divisional/District Sports and Youth Welfare Officer - Member Secretary.
31.	Assistant Rider	18	25	<ol style="list-style-type: none"> 1. High School Certificate pass 2. One year's experience from any Government/Semi-Government/Recognized prestigious sports union/institution 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Joint Director/Deputy Director 2. A gazetted officer belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes category, nominated by the Director 3. A gazetted officer belonging to the Minority Category nominated by the Director. 4. A Technical Member nominated by the Director

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32.	Librarian	18	25	1. Post Graduate Degree in Library Science from any recognized University. 2. One year's experience as Librarian in any Government/Semi-Government/Recognized prestigious sports union/institution	-----Do-----
33.	Assistant Librarian	18	25	1. Graduate Degree in Library Science from any recognized University. 2. One year's experience as Librarian in any Government/Semi-Government/Recognized prestigious sports union/institution	-----Do-----
34.	Book Lifter	18	25	1. Higher Secondary (10+2) pass 2. One year's experience as Book Lifter in any Government/Semi-Government/Recognized prestigious sports union/institution	-----Do-----
35.	Waterman	18	25	Must have passed 8 th Class	-----Do-----

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
36.	District Sports Trainer Grade-I	18	25	1. Graduate Degree. 2. N.I.S. Diploma or International Sportsman or Vikram Award, Vishwamitra Award winner shall have direct access for appointment as per the eligibilities shown in No. 3 and 4 of Schedule-II, in case of a Vikram Award and Vishwamitra Award the seniority shall be fixed according to the year of award, the winner of Eklavya Award shall be given separately 15-15 numbers on the earned marks.	1. Collector 2. Superintendent of Police 3. A gazetted officer belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes category, nominated by the Collector 4. A gazetted officer belonging to the Minority Category. 5. Divisional/District Sports and Youth Welfare Officer - Member Secretary.
37.	District Sports Trainer Grade-II	18	25	M.P.Ed. and National Level Sportsman or B.P.Ed. and National Level Sportsman and one year's experience as in training from any Government/Semi-Government/Recognized prestigious sports union/institution 1. High School in (10+2) pattern. 2. Winner of a medal in Malkhamb Sports in National Championship. 3. 6 months experience of training from a recognized sports club.	-----Do-----
38.	Malkhamb Sports Trainer	18	25		-----Do-----

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
39.	Contractual Sportsman Trainer (Rs. 11,898 remuneration)	18	25	1. Graduate 2. Participation in National Championship	1. Joint Director/Deputy Director 2. A gazetted officer belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes category, nominated by the Director 3. A gazetted officer belonging to the Minority Category nominated by the Director. 4. A Technical Member nominated by the Director
40.	Contractual Sportsman Trainer (Rs. 9,253 remuneration)	18	25	1. Higher Secondary (Old) or (10+2) Examination passed from State Board of Secondary Education or any recognized Board. 2. Participation in National Championship	-----Do-----
41.	Coordinator, Rural Youth Centre	18	25	1. Minimum Higher Secondary (10+2) 2. A representing Sportsman of District/Division level preferential sports/ participant in national youth festival or a youth who has achieved National Youth Award.	-----Do-----
42.	Trainer Grade-I (Archery Assistant, Training Centre)	18	25	1. Graduate Degree. 2. N.I.S. Diploma or International Sportsman or Vikram Award, Vishwamitra Award shall have direct access for appointment as per the eligibilities shown in No. 3 and 4 of Schedule-II, in case of a Vikram Award and Vishwamitra Award the seniority shall be fixed according the year of award, the winner of Eklayya Award shall be given separately 15-15 numbers on the earned marks.	-----Do-----

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
43.	Trainer Grade-II (Archery Assistant, Training Centre)	18	25	M.P.Ed. and National Level Sportsman or B.P.Ed. and National Level Sportsman and one year's experience as in training from any Government/Semi-Government/Recognized prestigious sports union/institution	1. Joint Director/Deputy Director 2. A gazetted officer belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes category, nominated by the Director 3. A gazetted officer belonging to the Minority Category nominated by the Director. 4. A Technical Member nominated by the Director
44.	Chief Trainer, Daria Training Centre	18	25	1. Graduate 2. Participation in National Championship	-----Do-----
45.	Chief Trainer, Daria Training Centre (Cricket)	18	25	1. Graduate 2. Participation in National Championship	-----Do-----
46.	Chief Trainer, Shivpuri Training Centre (Football)			1. Graduate 2. Participation in National Championship	-----Do-----
47.	Trainer [Cricket, Badminton, Football Athletics, Table Tennis, Cricket (Women), Judo, Badminton and Football]	18	25	1. Graduate 2. Participation in National Championship	-----Do-----
48.	Trainer, Yoga	18	25	1. Graduate 2. Participation in National Championship	-----Do-----

The provision for relaxation in age for the domicile of Madhya Pradesh shall be as under :-

No.	Particulars of the Candidate (2)	Relaxation in age (3)
(1)	Male Applicant (Unreserved Category)	25 + 15 = 40
(2)	Female Applicant (Unreserved Category)	25 + 20 = 45
(3)	Male / Female Applicant (Unreserved Category Working in Government/Corporation/ Board/Autonomous Body and Home Guards)	25 + 20 = 45
(4)	Male/Female Applicant (Reserved Category - Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes)	25 + 20 = 45
(5)	Male/Female Applicant (Reserved Category Working in Government/Corporation/Board/Autonomous Body and Home Guards)	25 + 20 = 45
(6)	Physically challenged applicants	25 + 20 = 45

Note : Candidates of out of the State shall not be eligible for relaxation in upper age limit in any case.

Schedule-IV**Standard for Selection**

(See rule 7)

No.	Post	Qualification		Marks obtained/ Class	Prescribed marks
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	Trainer-cum-Administrator	1.	Graduate	More than 60%	20 marks
				50% to 60%	15 marks
				Below 50%	10 marks
		2.	Olympic/World Cup	First	1000 marks
				Second	900 marks
				Third	800 marks
				Participation	700 marks
		3.	Asian Games/Common Wealth Games	First	700 marks
				Second	600 marks
				Third	500 marks
				Participation	400 marks
		4.	Asian Championship/ International Championship	First	400 marks
				Second	300 marks
				Third	200 marks
Participation	100 marks				
5.	National Games/ Championship	First	50 marks		
		Second	40 marks		
		Third	30 marks		
		Participation	20 marks		
6.	Experience of coaching to a national team for one year shall be mandatory (20 marks shall be given for more than one year's experience)	----	20 marks		
7.	Coaching by N.I.S. Diploma/ PG Diploma from L.N.E.P.E., Gwalior	----	150 marks		
8.	M.P.Ed.	----	30 marks		
	B.P.Ed.	----	20 marks		
9.	Vishwamitra Award	----	100 marks		
	Vikram Award	----	75 marks		
	Eklavya Award	----	50 marks		
2.	Trainer-cum-Administrator (Male Hockey Academy)	1.	Graduate	More than 60%	20 marks
				50% to 60%	15 marks
				Below 50%	10 marks

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		2. Olympic/World Cup	First	1000 marks
			Second	900 marks
			Third	800 marks
			Participation	700 marks
		3. Asian Games/Common Wealth Games	First	700 marks
			Second	600 marks
			Third	500 marks
			Participation	400 marks
		4. Asian Championship/International Championship	First	400 marks
			Second	300 marks
			Third	200 marks
			Participation	100 marks
		5. National Games/Championship	First	50 marks
Second	40 marks			
Third	30 marks			
Participation	20 marks			
6.	Experience of coaching to a national team for one year shall be mandatory (20 marks shall be given for more than one year's experience)	----	20 marks	
7.	Coaching by N.I.S. Diploma/PG Diploma from L.N.E.P.E., Gwalior	----	150 marks	
8.	M.P.Ed. B.P.Ed.	----	30 marks	
		----	20 marks	
9.	Vishwamitra Award Vikram Award Eklavya Award	----	100 marks	
		----	75 marks	
		----	50 marks	
3.	Chief Trainer-cum-Administrator (Canoeing Kayaking and Archery, Jabalpur) Chief Trainer (Canoeing Kayaking, Cricket Training Centre, Datia) Chief Trainer (Football, Training Centre, Shivpuri)	1. Graduate	More than 60%	20 marks
			50% to 60%	15 marks
			Below 50%	10 marks

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2.	Olympic/World Cup	First	1000 marks
				Second	900 marks
				Third	800 marks
				Participation	700 marks
		3.	Asian Games/Common Wealth Games	First	700 marks
				Second	600 marks
				Third	500 marks
				Participation	400 marks
		4.	Asian Championship/International Championship	First	400 marks
				Second	300 marks
				Third	200 marks
				Participation	100 marks
		5.	National Games/Championship	First	50 marks
Second	40 marks				
Third	30 marks				
Participation	20 marks				
6.	Experience of coaching to a national team for one year shall be mandatory (20 marks shall be given for more than one year's experience)	----	20 marks		
7.	Coaching by N.I.S. Diploma/PG Diploma from L.N.E.P.E., Gwalior	----	150 marks		
8.	M.P.Ed. B.P.Ed.	----	30 marks		
		----	20 marks		
9.	Vishwamitra Award Vikram Award Eklavya Award	----	100 marks		
		----	75 marks		
		----	50 marks		
4.	Assistant Trainer-cum-Assistant Administrator, Marshal Art (Karate, Wrestling, Boxing) and Sports Complex, Rewa	1.	Graduate	More than 60%	20 marks
				50% to 60%	15 marks
				Below 50%	10 marks
		2.	Olympic/World Cup	First	1000 marks
				Second	900 marks
				Third	800 marks
				Participation	700 marks
		3.	Asian Games/Common Wealth Games	First	700 marks
				Second	600 marks
				Third	500 marks
				Participation	400 marks
		4.	Asian Championship/International Championship	First	400 marks
				Second	300 marks
				Third	200 marks
				Participation	100 marks
		5.	National Games/Championship	First	50 marks
				Second	40 marks
Third	30 marks				
Participation	20 marks				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
		6.	Experience of coaching to a national team for one year shall be mandatory (20 marks shall be given for more than one year's experience)	----	20 marks		
		7.	Coaching by N.I.S. Diploma/ PG Diploma from L.N.E.P.E., Gwalior	----	150 marks		
		8.	M.P.Ed. B.P.Ed.	---- ----	30 marks 20 marks		
		9.	Vishwamitra Award Vikram Award Eklavya Award	---- ---- ----	100 marks 75 marks 50 marks		
5.	Assistant Trainer-cum- Assistant Administrator, Phasing	1.	Graduate	More than 60%	20 marks		
				50% to 60%	15 marks		
				Below 50%	10 marks		
		2.	Olympic/World Cup	First	1000 marks		
				Second	900 marks		
				Third	800 marks		
				Participation	700 marks		
		3.	Asian Games/Common Wealth Games	First	700 marks		
				Second	600 marks		
				Third	500 marks		
				Participation	400 marks		
		4.	Asian Championship/ International Championship	First	400 marks		
				Second	300 marks		
				Third	200 marks		
				Participation	100 marks		
5.	National Games/ Championship	First	50 marks				
		Second	40 marks				
		Third	30 marks				
		Participation	20 marks				
6.	Assistant Trainer-cum- Assistant Administrator, Shooting	1.	Graduate	More than 60%	20 marks		
				50% to 60%	15 marks		
				Below 50%	10 marks		
		6.	Experience of coaching to a national team for one year shall be mandatory (20 marks shall be given for more than one year's experience)	----	20 marks		
				7.	Coaching by N.I.S. Diploma/ PG Diploma from L.N.E.P.E., Gwalior	----	150 marks
				8.	M.P.Ed. B.P.Ed.	---- ----	30 marks 20 marks
		9.	Vishwamitra Award Vikram Award Eklavya Award	----	100 marks		
				----	75 marks		
				----	50 marks		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2.	Olympic/World Cup	First	1000 marks
				Second	900 marks
				Third	800 marks
				Participation	700 marks
		3.	Asian Games/Common Wealth Games	First	700 marks
				Second	600 marks
				Third	500 marks
				Participation	400 marks
		4.	Asian Championship/International Championship	First	400 marks
				Second	300 marks
				Third	200 marks
				Participation	100 marks
		5.	National Games/Championship	First	50 marks
				Second	40 marks
Third	30 marks				
Participation	20 marks				
6.	Experience of coaching to a national team for one year shall be mandatory (20 marks shall be given for more than one year's experience)		20 marks		
7.	Coaching by N.I.S. Diploma/PG Diploma from L.N.E.P.E., Gwalior	----	150 marks		
8.	M.P.Ed.	----	30 marks		
	B.P.Ed.	----	20 marks		
9.	Vishwamitra Award Vikram Award Eklavya Award	----	100 marks		
		----	75 marks		
		----	50 marks		

7.	Assistant Trainer, Marshal Art (Vushu, Karate, Taekwondo, Judo, Wrestling, Phasing and Boxing), Male Hockey Academy, Badminton Academy, Archery Academy and Sports Complex, Rewa	1.	Graduate	More than 60%	20 marks
				50% to 60%	15 marks
				Below 50%	10 marks
		2.	Olympic/World Cup	First	1000 marks
				Second	900 marks
				Third	800 marks
				Participation	700 marks
		3.	Asian Games/Common Wealth Games	First	700 marks
				Second	600 marks
				Third	500 marks
				Participation	400 marks
		4.	Asian Championship/International Championship	First	400 marks
				Second	300 marks
				Third	200 marks
				Participation	100 marks
		5.	National Games/Championship	First	50 marks
				Second	40 marks
				Third	30 marks
				Participation	20 marks

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		6.	Experience of coaching to a national team for one year shall be mandatory (20 marks shall be given for more than one year's experience)	----	20 marks
		7.	Coaching by N.I.S. Diploma/ PG Diploma from L.N.E.P.E., Gwalior	----	150 marks
		8.	M.P.Ed. B.P.Ed.	---- ----	30 marks 20 marks
		9.	Vishwamitra Award Vikram Award Eklavya Award	---- ---- ----	100 marks 75 marks 50 marks
8.	Assistant Trainer, Cricket	1.	Graduate	More than 60%	20 marks
				50% to 60%	15 marks
				Below 50%	10 marks
		2.	Olympic/World Cup	First	1000 marks
				Second	900 marks
				Third	800 marks
				Participation	700 marks
		3.	Asian Games/Common Wealth Games	First	700 marks
				Second	600 marks
				Third	500 marks
				Participation	400 marks
		4.	Asian Championship/ International Championship	First	400 marks
				Second	300 marks
				Third	200 marks
				Participation	100 marks
5.	National Games/ Championship	First	50 marks		
		Second	40 marks		
		Third	30 marks		
		Participation	20 marks		
9.	Physiotherapist	1.	Graduation in Physiotherapy/B.P.T. from a recognized Institution	More than 50%	60 marks
				Less than 50%	30 marks
		6.	Experience of coaching to a national team for one year shall be mandatory (20 marks shall be given for more than one year's experience)	----	20 marks
		7.	Coaching by N.I.S. Diploma/ PG Diploma from L.N.E.P.E., Gwalior	----	150 marks
		8.	M.P.Ed. B.P.Ed.	---- ----	30 marks 20 marks
		9.	Vishwamitra Award Vikram Award Eklavya Award	---- ---- ----	100 marks 75 marks 50 marks

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		2.	2 Years' experience after graduation in Physiotherapy (Marks shall be given in ratio in case of more than 2 years' experience)	Experience in Government 60 marks Experience in Semi-Government 40 marks Experience in recognized prestigious institution 20 marks
10.	Naalband (Ferrier)	1.	8 th Class Pass	More than 60% 20 marks 59% to 50% 15 marks Below 50% 10 marks
		2.	One year's experience as Naalband [Experience in Prestigious Institution/ Training Centre/Club (More than one year's experience, numbers shall be given same ratio)]	10 marks
11.	Computer Operator-cum-Clerk	1.	Graduate	More than 60% 20 marks 59% to 50% 15 marks Below 50% 10 marks
		2.	Must have passed computer training from either of the following institutions :- a. Must have passed the computer diploma examination from any University recognized by the University Grants Commission. b. Must have passed the computer diploma examination from any Open University recognized by the University Grants Commission. c. Must have passed diploma level examination from D.O.E.A.C.C. d. Must have passed a course of Modern Office Management from a Government Polytechnic or One year Diploma in Computer Operator and Programming Assistant from a Government Industrial Training Institute.	More than 60% 50 marks 59% to 50% 40 marks Below 50% 30 marks

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		3. A certificate of Hindi Typing passed from the Madhya Pradesh Shorthand and Typing Board or a Certificate of C.P.C.T. with marksheet from Science and Technology.	----	50 marks
		4. Experience of more than one year in a Government office	----	50 marks
		5. Medal Winner/ Participant in National Games, Authorized Senior National Championship, All India Inter-University Competition.	First/Second/Third	100 marks
			Participation	50 marks
		6. Medal Winner/ Participant in State Level Games and Madhya Pradesh State School Competition.	First	40 marks
			Second	30 marks
			Third	20 marks
			Participation	10 marks
		7. Demonstration merit	----	20 marks
12.	Warden/Matron	1. Graduation	More than 60%	20 marks
			59% to 50%	15 marks
			Below 50%	10 marks
		2. Achievement in National Games, Authorized Senior National Championship, All India Inter-University Competition.	First	50 marks
			Second	40 marks
			Third	30 marks
			Participation	20 marks
		3. State Level Games and Madhya Pradesh State Level School Competition.	First	40 marks
			Second	30 marks
			Third	20 marks
			Participation	10 marks
		4. One year's experience as Warden/Matron Experience in Prestigious Institution/ Training Centre/Club (On every year's experience, numbers shall be given in same ratio)]	Experience in Government	30 marks
			Experience in Semi-Government	20 marks
Experience in recognized prestigious institution	10 marks			
13.	Accountant	1. Graduation (Commerce discipline)	More than 60%	20 marks
			59% to 50%	15 marks
			Below 50%	10 marks

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>2. Must have passed computer training from either of the following institutions :-</p> <p>a. Must have passed the computer diploma examination from any University recognized by the University Grants Commission.</p> <p>b. Must have passed the computer diploma examination from any Open University recognized by the University Grants Commission.</p> <p>c. Must have passed diploma level examination from D.O.E.A.C.C.</p> <p>d. Must have passed a course of Modern Office Management from a Government Polytechnic or One year Diploma in Computer Operator and Programming Assistant from a Government Industrial Training Institute.</p> <p>Or</p> <p>Must have passed one year's certificate course in Computer Application and Programming Assistant</p>	<p>More than 60%</p> <p>59% to 50%</p> <p>Below 50%</p>	<p>50 marks</p> <p>30 marks</p> <p>20 marks</p>
		3. Authorized examination and working experience in Tally	----	10 marks
		4. Achievement in National Games, Authorized Senior National Championship, All India Inter-University Competition.	First	50 marks
			Second	40 marks
			Third	30 marks
			Participation	20 marks
		5. State Level Games and Madhya Pradesh State Level School Competition.	First	40 marks
			Second	30 marks
			Third	20 marks
			Participation	10 marks

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		6. One year's experience as Warden/Matron [Experience in Prestigious Institution/ Training Centre/Club (On every year's experience, numbers shall be given in same ratio)]	Experience in Government Experience in Semi-Government Experience in recognized prestigious institution	60 marks 20 marks 10 marks
14.	Store Keeper	1. Graduate (In any discipline)	More than 60% 59% to 50% Below 50%	20 marks 15 marks 10 marks
		2. Must have passed computer training from either of the following institutions :- a. Must have passed the computer diploma examination from any University recognized by the University Grants Commission. b. Must have passed the computer diploma examination from any Open University recognized by the University Grants Commission. c. Must have passed diploma level examination from D.O.E.A.C.C. d. Must have passed a course of Modern Office Management from a Government Polytechnic or One year Diploma in Computer Operator and Programming Assistant from a Government Industrial Training Institute. Or Must have passed one year's certificate course in Computer Application and Programming Assistant	More than 60% 59% to 50% Below 50%	50 marks 30 marks 20 marks

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		3.	A certificate of Hindi Typing passed from the Madhya Pradesh Shorthand and Typing Board or a Certificate of C.P.C.T. with mark-sheet from Science and Technology.		
		4.	One year's experience as a Storekeeper in any Government/Semi-Government/Prestigious Institution (For more than one year's experience marks shall be given in the same ratio)	Experience in Government Experience in Semi-Government Experience in recognized prestigious institution	30 marks 20 marks 10 marks
15.	Assistant Grade-II	1.	Graduate (In any discipline)	More than 60% 59% to 50% Below 50%	20 marks 15 marks 10 marks
		2.	Must have passed computer training from either of the following institutions :- a. Must have passed the computer diploma examination from any University recognized by the University Grants Commission. b. Must have passed the computer diploma examination from any Open University recognized by the University Grants Commission. c. Must have passed diploma level examination from D.O.E.A.C.C. d. Must have passed a course of Modern Office Management from a Government Polytechnic or One year Diploma in Computer Operator and Programming Assistant from a Government Industrial Training Institute. Or	More than 60% 59% to 50% Below 50%	50 marks 30 marks 20 marks

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Must have passed one year's certificate course in Computer Application and Programming Assistant		
		3. A certificate of Hindi Typing passed from the Madhya Pradesh Shorthand and Typing Board or a Certificate of C.P.C.T. with mark-sheet from Science and Technology.	----	50 marks
		4. One year's experience (For each year's experience 10 marks shall be given separately)	----	Minimum 10 marks
16.	Life Guard	1. Higher Secondary pass in (10+2) pattern	More than 60%	15 marks
			59% to 50%	10 marks
			Below 50%	05 marks
		2. National Swimming/ Diving Competition	First	50 marks
			Second	40 marks
			Third	30 marks
			Participation	20 marks
		3. State Level Swimming/ Diving Competition	First	30 marks
			Second	20 marks
			Third	10 marks
Participation	05 marks			
4. Life saving course from a recognized institution	----	50 marks		
5. Merit demonstration	---	20 marks		
17.	Boat Master	1. Higher Secondary pass in (10+2) pattern	More than 60%	15 marks
			59% to 50%	10 marks
			Below 50%	05 marks
		2. Certificate of N.C.C./Naval Wing	"C" Certificate	50 marks
			"B" Certificate	30 marks
			"A" Certificate	20 marks
		3. National Swimming/ Diving Competition	First	30 marks
			Second	20 marks
			Third	10 marks
			Participation	05 marks
4. State Level Swimming/ Diving Competition	First	40 marks		
	Second	30 marks		
	Third	20 marks		
	Participation	10 marks		
5. Merit demonstration	---	20 marks		
18.	Photographer	1. Higher Secondary pass in (10+2) pattern	More than 60%	15 marks
			59% to 50%	10 marks
		Below 50%	05 marks	
		2. Must have passed a Diploma in Videography	----	100 marks

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		3.	One year's experience as a Storekeeper in any Government/Semi-Government/Prestigious Institution (For more than one year's experience marks shall be given in the same ratio)	Experience in Government 30 marks Experience in Semi-Government 20 marks Experience in recognized prestigious institution 10 marks
19.	Security Guard	1.	Higher Secondary pass in (10+2) pattern	More than 60% 20 marks 59% to 50% 15 marks Below 50% 10 marks
		2.	Authorized Madhya Pradesh State Level Competition, Madhya Pradesh State Level School Competition	First 40 marks Second 30 marks Third 20 marks Participation 10 marks
		3.	Certificate of N.C.C. (Either "A" or "B" or "C")	---- 25 marks
		4.	The height of the candidate must be minimum of 5'5". He must be fit physically and mentally and must have 6/6 eye sight. He must not be having night blindness, physically challenged, flat foot and knock knee, he shall attach a medical certificate from a Government Medical Officer to this effect. Maximum age limit 30 years.	----
20.	Contractual Choukidar		8 th Standard pass.	More than 60% 20 marks 59% to 50% 15 marks Below 50% 10 marks
21.	Driver	1.	8 th Standard pass.	---- 20 marks
		2.	License of Heavy and Light Motor Vehicle	---- 30 marks
		3.	One year's experience as a Driver from any Government/Semi-Government/Recognized prestigious institution	---- 10 marks
		4.	Excellent practical.	---- 20 marks
22.	Sais	1.	8 th Standard pass.	More than 60% 20 marks 59% to 50% 15 marks Below 50% 10 marks
		2.	One year's experience as a Sais from any Government/Semi-Government/Recognized prestigious institution	Experience in Government 30 marks Experience in Semi-Government 20 marks Experience in recognized prestigious institution 10 marks

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
23.	F.R.P. Boat Mechanic	1.	8 th Standard pass.	More than 60% 59% to 50% Below 50%	15 marks 10 marks 05 marks
		2.	A practical knowledge from F.R.P. Boat Mechanic Company or any other institution (For more than one year's experience 5 number for each extra year shall be given).	----	05 marks
		3.	Merit demonstration	----	20 marks
24.	Motor Boat Operator	1.	High School Examination pass.	More than 60% 59% to 50% Below 50%	15 marks 10 marks 05 marks
		2.	A training or license from any recognized institution	----	30 marks
		3.	Motor Operator must be a good swimmer (Practical)	----	15 marks
		4.	Motor Boat Mechanic must have technical knowledge O.B.M. Engine	----	15 marks
		5.	State Level Swimming/ Diving Competition	First	40 marks
				Second	30 marks
				Third	20 marks
				Participation	10 marks
6.	One year's working experience in motor boat (For each year 10 marks)	----	10 marks minimum		
7.	Merit demonstration	----	20 marks		
25.	Electrician	1.	Higher Secondary (Old) or (10+2) Examination passed from State Board of Secondary Education or any recognized Board.	More than 60% 59% to 50% Below 50%	20 marks 15 marks 10 marks
		2.	One year's Training and Diploma from I.T.I.	----	30 marks
		3.	One year's experience from any Government/Semi-Government institution (10 marks shall be given for each one year's experience)	----	10 marks minimum
26.	Carpenter	1.	8 th Class pass	More than 60% 59% to 50% Below 50%	15 marks 10 marks 05 marks
		2.	One year's Training and Diploma from I.T.I.	----	30 marks
		3.	One year's experience from any Government/Semi-Government institution (10 marks shall be given for each one year's experience)	----	10 marks minimum

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
27.	Chef	1.	8 th Class pass	More than 60% 59% to 50% Below 50%	20 marks 15 marks 10 marks
		2.	Merit demonstration	----	20 marks
		3.	At least one year's experience (practical) (10 marks shall be granted for each year)	----	10 marks minimum
28.	Groundman	1.	High School Certificate pass	More than 60% 59% to 50% Below 50%	20 marks 15 marks 10 marks
		2.	Authorized Madhya Pradesh State Level Competition, Madhya Pradesh State Level School Competition	First	40 marks
				Second	30 marks
				Third	20 marks
3.	One year's experience as a Groundman from a Government/Semi-Government/Recognized Sports Club/Institution	Participation	10 marks		
29.	Peon	8 th Class pass	More than 60% 59% to 50% Below 50%	Experience in Government	30 marks
				Experience in Semi-Government	20 marks
				Experience in recognized prestigious institution	10 marks
30.	Sweeper	8 th Class pass	More than 60% 59% to 50% Below 50%	20 marks 15 marks 10 marks	
31.	Assistant Rider	1.	High School Certificate pass	More than 60% 59% to 50% Below 50%	20 marks 15 marks 10 marks
		2.	Minimum one year's experience from a Government/Semi-Government/Recognized Sports Club/Institution (Experience on each experience marks shall be given)	Experience in Government Experience in Semi-Government Experience in recognized prestigious institution	30 marks 20 marks 10 marks
32.	Librarian	1.	A post graduate degree in Library Science from any recognized institution	More than 60% 59% to 50% Below 50%	50 marks 40 marks 30 marks
		2.	One year's experience as Librarian in any Government/Semi-Government/Recognized prestigious sports union/institution (Marks shall be given on each year's experience)	Experience in Government Experience in Semi-Government Experience in recognized prestigious institution	30 marks 20 marks 10 marks

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
33.	Assistant Librarian	1.	A graduate degree in Library Science from any recognized institution	More than 60% 59% to 50% Below 50%	20 marks 15 marks 10 marks
		2.	One year's experience as Assistant Librarian in any Government/Semi-Government/Recognized prestigious sports union/institution (Marks shall be given on each year's experience)	Experience in Government Experience in Semi-Government Experience in recognized prestigious institution	30 marks 20 marks 10 marks
34.	Book Lifter	1.	Higher Secondary pass in (10+2) pattern	More than 60% 59% to 50% Below 50%	20 marks 15 marks 10 marks
		2.	One year's experience as Book Lifter in any Government/Semi-Government/Recognized prestigious sports union/institution (Marks shall be given on each year's experience)	Experience in Government Experience in Semi-Government Experience in recognized prestigious institution	30 marks 20 marks 10 marks
35.	Waterman	8 th Class pass		More than 60% 59% to 50% Below 50%	20 marks 15 marks 10 marks
36.	District Sports Trainer Grade-I, Trainer Grade-I and Trainer [Cricket, Badminton, Football, Athletics, Table Tennis, Tennis, Cricket (Women), Judo, Badminton and Football]	1.	N.I.S. Diploma in Coaching and P.G. Diploma from L.N.I.P.E., Gwalior	----	150 marks
		2.	Graduation	More than 60% 59% to 50% Below 50%	20 marks 15 marks 10 marks
		3.	Vishwamitra Award	----	200 marks
		4.	Vikram Award	----	150 marks
		5.	Late Prabhash Joshi	----	150 marks
		6.	Eklavya Award	----	100 marks
		7.	International Championship	First	150 marks
				Second	125 marks
				Third	100 marks
				Participation	50 marks
8.	National Games/ Championship	First	50 marks		
		Second	40 marks		
		Third	30 marks		
		Participation	20 marks		
37.	District Sports Trainer Grade-II and Assistant Trainer Grade-II	1.	Medal Winner/ Participant in National Games, Authorized Senior National Championship, All India Inter-University Competition.	First	50 marks
				Second	30 marks
				Third	20 marks
			One year's working experience as a Trainer (Marks shall be given on each year's experience)	----	10 marks

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
38.	Malkhamb Sports Trainer	1.	Higher Secondary (Old) or (10+2) Examination passed from State Board of Secondary Education or any recognized Board.	More than 60% 59% to 50% Below 50%	20 marks 15 marks 10 marks	
		2.	National Competition in Malkhamb Sports	Personal Competition (marks)		Team Competition
				First	50	30 marks
				Second	40	20 marks
				Third	30	10 marks
				Participation/ Involvement	05	05 marks
		3.	National Level Inter-University Competition in Malkhamb Sports	First	50	15 marks
				Second	40	10 marks
				Third	30	05 marks
		4.	One year's experience in Malkhamb Sport of any Government Department/ Institution (Marks shall be given at the ratio of per year's experience)	----		10 marks
5.	Vikram/ Late Prabhash Joshi Sports Award	----		150 marks		
39.	Contractual Sportsman Trainer (Remuneration of Rs. 11,898/-)	1.	N.I.S. Diploma from Coaching/ P.G. Diploma from L.N.I.P.E., Gwalior	----	150 marks	
		2.	Graduate	More than 60% 59% to 50% Below 50%	20 marks 15 marks 10 marks	
		3.	B.P. Ed.	----	20 marks	
		4.	Vikram Award	----	150 marks	
		5.	Eklavya Award	----	100 marks	
		6.	International Championship	First		150 marks
				Second		125 marks
				Third		100 marks
				Participation		50 marks
		7.	National Sports/ Championship	First		50 marks
Second				40 marks		
Third				30 marks		
Participation				20 marks		
40.	Contractual Sportsman Trainer (Remuneration of Rs. 9,253/-)	1.	Higher Secondary (Old) or (10+2) Examination passed from State Board of Secondary Education or any recognized Board.	More than 60% 59% to 50% Below 50%	20 marks 15 marks 10 marks	
		2.	B.P. Ed.	----	20 marks	
		3.	Vikram Award	----	150 marks	
		4.	Eklavya Award	----	100 marks	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		5. International Championship	First Second Third Participation	150 marks 125 marks 100 marks 50 marks
		6. National Sports/ Championship	First Second Third Participation	50 marks 40 marks 30 marks 20 marks
41.	Coordinator, Rural Youth Centre	1. Minimum Higher Secondary (10+2) pass	More than 60% 59% to 50% Below 50%	20 marks 15 marks 10 marks
		2. National Sports/ Championship	First Second Third Participation	50 marks 40 marks 30 marks 20 marks
		3. Authorised State Level Competition	First Second Third Participation	40 marks 30 marks 20 marks 10 marks
		4. Authorised Divisional/ District Level Competition	First Second Third Participation	30 marks 20 marks 10 marks 05 marks
		5. Domicile of concerned Block		50 marks
		6. Participation in International Youth Exchange Programme		100 marks
		7. National Youth Award		50 marks
		8. National Youth Festival	First Second Third Participation	50 marks 40 marks 30 marks 20 marks
		9. State Youth Festival	First Second Third Participation	40 marks 30 marks 20 marks 10 marks
42.	Trainer, Yoga	1. Post Graduation	More than 60% 59% to 50% Below 50%	25 marks 20 marks 15 marks
		2. Graduation	More than 60% 59% to 50% Below 50%	20 marks 15 marks 10 marks
		3. M.P. Ed.	More than 75% 60% to 75% 50% to 60% Below 50%	40 marks 20 marks 10 marks 05 marks
		4. B.P. Ed.	More than 75% 60% to 75% 50% to 60% Below 50%	30 marks 20 marks 10 marks 05 marks
		5. Diploma in Yoga from a recognized Institution	More than 60% 59% to 50% Below 50%	20 marks 15 marks 10 marks

- Note :
1. Merit demonstration means practical quality and examining of working knowledge.
 2. For merit demonstration examination, the Director shall nominate the Specialist.
 3. Number of every medal/competition shall be counted separately.
 4. Marshal Art means Vushu, Karate, Jodu, Taekwondo, Wrestling, Phasing and Boxing Games.
 5. Authorised National Competition means the national championships organized by the recognized National Sports Association of Government of India, Federation Cup and Invitation competitions etc., shall not be included in the national competitions.
 6. The achievements shall be counted on above said standards for which the candidate has applied for such a sports.
 7. The marks of Eklavya, Vikram and Vishwamitra Award in a concerned sports shall be counted if the applicant has applied for the same sports.

**On a Stamp Paper
of Rs. 100/-**

ANNEXURE

Format of Contract

(See rule 10)

This contract is being executed on this date Duly signed by the undersigned in the presence of witness between Mr./Ms. S/o. Shri (hereinafter called as Contractual) as first party and the Director, Sports and Youth Welfare, Madhya Pradesh, Bhopal or Divisional/District Sports and Youth Welfare Officer, District(hereinafter called as Contractual Employer) as second party.

Therefore, contractual employer, is agreed upon for appointment of the contractual on the additional terms and conditions as given in Contractual Recruitment Rules, 2017 on dated, namely :-

- (1) That, the rank of Mr./Ms., contractual shall never be considered as Government employee in any case.
- (2) The period of contract of Mr./Ms., contractual shall be for a period of one year from the date which shall complete on dated
- (3) The first party shall be committed full time service to the duty assigned him/her and he/she shall directly or indirectly shall not involve himself/herself in any business, profession or any other livelihood earning.
- (4) The contractual servant shall not be absent from duty unless he has taken a prior sanction of such leave or production of medical certificate issued by the Competent Medical Officer in case of accident or sickness.
- (5) The termination of contract can be done by the either parties after issuing a prior written notice of one month in a calendar year, any such notice issued by the contractual employer shall be considered as appropriate notice, if such notice is sent by the Registered Acknowledgement Post, addressed on the name of the contractual address and sent to his/her address:

Provided that the contractual service of the first party shall be terminated by the concerned without any notice, then the concerned office shall pay him/her a month's remuneration to the contractual service:

Provided further that if the contract or wants to terminate the contract before the completion of contractual tenure, then he/she shall be liable to pay a month's remuneration to the concerned office.

- (6) That, if the contractual does the misconduct or breaches the terms and conditions of this agreement or does not perform the duties assigned to him from time to time and deliberately don't follow the directions given to him, then the contractual service of the first party can be terminated at any point of time without issue of notice.
- (7) That, the first party shall be paid a sum of Rs./-, per month as a remuneration.
- (8) That, the first party shall not be eligible for the facility of pension.
- (9) That, the first party shall be eligible for travelling allowance as permissible to the similar rank of Government Servant, when he/she is travelling on duty.
- (10) That, immediately after appointment the verification of character of first party shall be done, for this purpose the first party shall furnish such information within a period of 15 days, during the verification of character of the first party, if any contradictory fact is found, then the Appointing Authority shall terminate the contractual service of the first party after giving an appropriate opportunity of hearing on the grounds proved against him/her.
- (11) That, if the first party remains absent from his/her duty without prior permission or extends his/her leave period more than that provided in sub-rule (4) of rule 13 of the Madhya Pradesh Sports and Youth Welfare (Recruitment and Conditions of Contract) Rules, 2017, the remuneration of such period shall be reduced in an appropriate ratio.

(12) That, the first party shall perform all the duties assigned to him/her by the Appointing Authority, from time to time.

This agreement is signed in the presence of witness on the date as mentioned above and a seal of the Office of Directorate of Sports and Youth Welfare, Madhya Pradesh or Divisional/District Sports and Youth Welfare Officer is put on this agreement.

Witness:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. (Signature) | (1) Contractual Servant |
|(Name) | (Signature) |
| |(Name) |
| 2. (Signature) | (2) Contractual Employer's seal and signature |
|(Name) | |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh

KIRAN MISHRA, Dy. Secy.